झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
एकादश (बजट)सत्र
वर्ग–02

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, मंगलवार, दिनांकः–30, फाल्गुन,1944 (श०) को 21 मार्च, 2023 (ई०) झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क० सं०	विभागों को भेजी गई सां०संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
575-	वन०–18	श्री नमन बिक्सल , कोनगाड़ी,	पेड़ पौधा लगाना।	वन०पर्या० एवं जलवायु परिवर्तन	01-03-23
576-	टन०–04	श्री कोचे मुण्डा,	भवन का निर्माण।	पर्य०कला०सं० खेलकूद एवं युवा कार्य	21-02-23
577-	शि०–39	श्री ढुलू महतो,	नियुक्ति नियमावली का पालन।	स्कूली शिक्षा एंव साक्षरता	01-03-23
578-	वन०–19	श्री किशुन कुमार दास,	पार्क का निर्माण।	वन०पर्या० एवं जलवायु परिवर्तन	05-03-23
579-	टन०–26	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा,	स्टेडियम का निर्माण।	पर्य०कला०सं० खेलकूद एवं युवा कार्य	02-03-23
580-	टन०–37	सुश्री अम्बा प्रसाद,	महापर्व का प्रचार प्रसार।	पर्य०कला०सं० खेलकूद एवं युवा कार्य	05-03-23
581-	उ०–12	श्री विनोद कुमार सिंह,	उद्योग को बढ़ावा देना।	उद्योग	04-03-23
582-	उत०–20	श्री अमित कुमार मंडल,	पढ़ाई प्रारम्भ कराना।	उच्च एवं तक० शिक्षा	06-03-23
583-	उ०–08	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की,	रोजगार देना।	उद्योग	02-03-23
584-	उत०–22	सुश्री अम्बा प्रसाद,	महाविद्यालय की स्थापना।	उच्च एवं तक०शिक्षा	13-03-23
585-	टन०–06	श्री भानू प्रताप शाही,	पर्यटन स्थल का विकास।	पर्य०कला०सं० खेलकूद एवं युवा कार्य	13-03-23

01	02	03	04	05	06
586-	टन0-39	श्री सुखराम उराँव,	अधूरे कार्य को पूर्ण करना।	पर्य0कला0सं0 खेलकूद एवं युवा कार्य	13-03-23
587-	शि0-35	श्री नारायण दास,	वेतनमान देना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	27-02-23
588-	शि0-51	श्री अमित कुमार मंडल,	+2विद्यालय का दर्जा।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	05-03-23
589-	टन0-18	श्री रामचन्द्र सिंह,	धरोहरों का संरक्षण। पूर्ण करना।	पर्य0कला0सं0 खेलकूद एवं युवा कार्य	25-02-23
590-	उ0-05	डॉ0 लम्बोदर महतो,	टेकनोलॉजी सेंटर स्थापित करना।	उद्योग	23-02-23
591-	टन0-25	श्री नमन बिक्सल कोनगाड़ी,	पर्यटकों को सुविधा देना।	पर्य0कला0सं0 खेलकूद एवं युवा कार्य	27-02-23
592-	उ0-13	श्री अमित कुमार यादव,	सिंगल विण्डो सिस्टम दुरुस्त करना।	उद्योग	13-03-23
593-	शि0-02	डॉ0 नीरा यादव,	चाहरदिवारी का निर्माण।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	21-02-23
594-	उ0-14	श्री अमित कुमार यादव,	प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करना।	उद्योग	13-03-23
595-	शि0-52	श्री किशुन कुमार दास,	विद्यालय भवन का निर्माण।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	05-03-23
596	शि0-54	श्री विकास कुमार मुण्डा,	समतुल्य योग्यता प्रदान करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	13-03-23
597-	शि0-24	श्री दिनेश विलियम मराण्डी,	चाहरदिवारी का निर्माण।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	25-02-23
598-	टन0-21	श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता,	मंदिर का जीर्णोद्धार।	पर्य0कला0सं0 खेलकूद एवं युवा कार्य	25-02-23
599-	उ0-07	श्री नारायण दास,	नीति का लाभ देना।	उद्योग	27-02-23
600-	उत0-23	श्री नलिन सोरेन,	प्रोन्नति रद्द करना।	उच्च एवं तक0शिक्षा	13-03-23
601-	वन0-12	श्री रामचन्द्र सिंह,	स्व-रोजगार योजना मुहैया कराना।	वन0पर्या0 एवं जलवायु परिवर्तन	24-02-23
602-	उ0-04	डॉ0इरफान अंसारी,	उद्योगों को पुनर्जीवित करना।	उद्योग	23-02-23
603-	वन0-13	श्री जय प्रकाश भाई पटेल,	वन प्रमंडल में जोड़ना।	वन0पर्या0 एवं जलवायु परिवर्तन	24-02-23

कृ0पृ0उ0.....3/-

01	02	03	04	05	06
604-	शि०-25	श्री राजेश कच्छप,	जैक बोर्ड का पुनर्गठन।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	25-02-23
605-	उत०-18	श्री रामदास सोरेन,	डिग्री महाविद्यालय खोलना।	उच्च एवं तक०शिक्षा	04-03-23
606-	टन०-23	श्री अनन्त कुमार ओझा,	इंडोर स्टेडियम का निर्माण।	पर्य०कला०सं० खेलकूद एवं युवा कार्य	25-02-23
607-	उ०-06	श्री बिरंची नारायण,	नक्सा स्वीकृत करवाना।	उद्योग	25-02-23
608-	उत०-16	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह,	कर्मचारियों की नियुक्ति।	उच्च एवं तक०शिक्षा	02-03-23
609-	टन०-08	डॉ०इरफान अंसारी,	स्टेडियम का निर्माण।	पर्य०कल०सं० खेलकूद एवं युवा कार्य	23-02-23
610-	शि०-40	श्री ढुलू महतो,	शिक्षकों की माँगों का निराकरण।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	01-03-23
611-	टन०-05	डॉ०नीरा यादव,	पर्यटन स्थल को विकसित करना।	पर्य०कल०सं० खेलकूद एवं युवा कार्य	21-02-23
612-	वन०-16	श्री राजेश कच्छप,	मानव हाथी टकराव रोकना।	वन०पर्या० एवं जलवायु परिवर्तन	27-02-23
613-	टन०-33	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन,	पर्यटकीय विकास करना।	पर्य०कला०सं० खेलकूद एवं युवा कार्य	02-03-23
614-	शि०-53	श्री रामदास सोरेन,	विद्यालय प्रबंधन पर कार्रवाई।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	06-03-23
615-	का०-07	श्री दशरथ गागराई,	न्यायादेश का अनुपालन।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	02-03-23
616-	टन०-14	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह,	कला भवन का निर्माण।	पर्य०कला०सं० खेलकूद एवं युवा कार्य	23-02-23
617-	शि०-50	श्री दिनेश विलियम मराण्डी,	शौचालय का निर्माण।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	05-03-23
618-	वन०-06	श्री समीर कुमार मोहन्ती,	वनों का संरक्षण करना।	वन०पर्या० एवं जलवायु परिवर्तन	21-02-23
619-	शि०-31	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह,	अनुदान देना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	26-02-23
620-	शि०-42	श्री दशरथ गागराई,	ओड़िया भाषा को शामिल करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	01-03-23

कृ०पृ०उ०.....4/-

01	02	03	04	05	06
621-	टन0-29	श्री मनीष जायसवाल,	स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति।	पर्य0कला0सं0 खेलकूद एवं युवा कार्य	01-03-23
622-	शि0-28	डॉ0लम्बोदर महतो,	नामांकन चालू करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	21-02-23

राँची,
दिनांक-21 मार्च,2023 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा0वि0स0(प्रश्न)- 03/2020-1400 /वि0स0,राँची,दिनांकः- 20/03/23

प्रतिलिपिः- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

20/03/23

(मनोज कुमार)
अवर सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा0वि0स0(प्रश्न)- 03/2020-1400 /वि0स0,राँची,दिनांकः- 20/03/23

प्रतिलिपिः-माननीय अध्यक्ष महोदय के विशेष कार्य पदाधिकारी एवं प्रभारी सचिव महोदय के निजी सहायक को कमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय तथा संयुक्त सचिव (प्रश्न) को सूचनार्थ प्रेषित।

20/03/23

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा0वि0स0(प्रश्न)- 03/2020-1400 /वि0स0,राँची,दिनांकः- 20/03/23

प्रतिलिपिः-कार्यवाही शाखा/ वेबसाईट शाखा/ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन समिति/शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

20/03/23

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

20/03/23

575

श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 21.03.2023 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–वन–18 का उत्तर।

क्रं० सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि कोलेबिरा विधान सभा क्षेत्र समेत पूरे प्रदेश के कई जगहों पर लोगों को हाथियों के आतंक के कारण जान–माल का क्षति उठाना पड़ रहा है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि हाथी एवं मानव समुदायों के बीच का टकराव का कारण खाने –पीने को लेकर है;	आंशिक स्वीकारात्मक। जंगली हाथियों के खाने की आदत में बदलाव के कारण हाथी ग्रामीण इलाको में फसल एवं भण्डारित अनाज खाने हेतु आते है, जिसमें हाथी एवं मानव समुदायों के बीच टकराव होता है, परन्तु यह हाथियों के उक्त क्षेत्र में इधर–उधर विचरण का मुख्य कारण नहीं है। मानव की जनसंख्या वृद्धि, वन्यजीव पर्यावास के खण्डन, घरों में मादक पदार्थ का रखा जाना एवं उसका सेवन, हाथी द्वारा क्षति पहुँचाये जाने के विरूद्ध ग्रामीणों की आक्रोशजनित प्रतिक्रिया, सुरक्षित पर्यावास का अभाव आदि अनेक कारण हाथी–मानव द्वन्द के कारक हो सकते हैं।
3.	क्या यह बात सही है कि जंगलो में हाथियों के खाने से संबंधित पेड़–पौधे का एवं पानी की व्यापक व्यवस्था कर मानव समुदायों के साथ टकराव को कम किया जा सकता है;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार हाथी प्रभावित जंगल के क्षेत्रों में हाथियों के खाने से संबंधित पेड़–पौधे को लगाने एवं पानी का समुचित व्यवस्था करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक नहीं तो क्यों?	जंगल एवं आस–पास के क्षेत्रों में हाथियों के आहार से संबंधित पेड़–पौधे लगाये जाते है एवं पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कच्चा चेक डैम का निर्माण किया जाता है।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक– 5/वि0स0 तारांकित प्रश्न–39/2023– 1070 व0प0, दिनांक–20/03/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–781, दिनांक–01.03.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/03/23

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

576

श्री कोचे मुण्डा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 21.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–04 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिलान्तर्गत बनो प्रखण्ड के नोमिल ग्राम से 3 कि०मी० अन्दर डांडिंग घाट नामक एक मनोरम जलप्रपात स्थित है,	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त जलप्रपात पर हजारो पर्यटक हर वर्ष आते है,	2.	आंशिक स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है कि इस जलप्रपात तक मुख्य पथ से आने वाली सड़क अत्यंत ही जर्जर अवस्था में है,	3.	आंशिक स्वीकारात्मक
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त जलप्रपात पर पर्यटकों की सुविधा हेतु पहुँच पथ एवं सीढ़ी तथा भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	4.	प्रश्नाधीन स्थल पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं है। जिला पर्यटन संवर्धन परिषद व तदोपरांत राज्य पर्यटन संवर्धन समिति की अनुशंसा के आलोक में पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा किसी भी स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित किया जाता है जिसके पश्चात उक्त स्थल के विकास हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है। विभागीय पत्रांक 361 दिनांक 22.02.2023 द्वारा उक्त स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव जिला पर्यटन संवर्धन परिषद के समक्ष विचारार्थ रखने हेतु उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला पर्यटन संवर्धन परिषद, सिमडेगा को निदेशित किया गया है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/07/2023 440 /राँची, दिनांक 01-03-2023

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–79/वि०स०, दिनांक–21/02/2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.03.23

सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

(577)

878
19/03/2023

श्री ढ़ुलू महतो, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि०–39

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में धार्मिक अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त नियमावली लागू नहीं होती है, जबकि स्वीकृत शिक्षकों को सरकार के कोष से वेतन भुगतान किया जाता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि – (*i*) बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण–ग्रहण) अधिनियम, 1981, झारखंड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवाशर्त नियमावली, 2015 तथा झारखंड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवाशर्त (संशोधन) नियमावली, 2022 में निहित प्रावधानों के तहत अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है, जिसका स्पष्ट उल्लेख विभागीय पत्रांक 5108 दिनांक 09.12.2010 में किया गया है। (*ii*) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ***Society for Un-aided Private Schools of Rajasthan vs. Union of India and another (2012) 6 SCC 1*** में पारित आदेश– *"Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 is not applicable to unaided minority schools."* तथा ***Pramati Educational and Cultural Trust vs. Union of India AIR 2014 SC 2114*** में पारित आदेश– *"The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 is not ultra vires to Article 19(1)(g) but so far as it applies to minority schools aided or un-aided, covered under clause(1) of Article-30 of the Constitution, is ultra vires the Constitution."* के अनुसार सरकारी मान्यता प्राप्त प्रारम्भिक अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता का प्रावधान नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि अल्पसंख्यकों के विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में SC/ST/BC वर्ग के विधि द्वारा स्थापित आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया जाता है और अल्पसंख्यक विद्यालयों की नियमावली का पालन नहीं किया जाता है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के द्वारा सिविल अपील संख्या–5489/2007 सिन्धी एजुकेशनल सोसाईटी एवं अन्य बनाम मुख्य सचिव नई दिल्ली एवं अन्य में दिनांक–08.07.2010 को पारित न्यायादेश तथा विभागीय संकल्प संख्या–642 दिनांक–01.03.2021 के आलोक में अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति में झारखण्ड पदों एवं सेवाओं में सीधी नियुक्ति अथवा प्रोन्नति हेतु प्रावधानित आरक्षण के प्रावधान लागू नहीं हैं।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सभी अल्पसंख्यक विद्यालयों में नियुक्ति नियमावली का पालन करवाना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्डों में निहित है।

विभा।।। 19/03/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–80/2023...878......... राँची, दिनांक 19/03/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विभा।।। 19/03/23
सरकार के अवर सचिव।

578

श्री किशुन कुमार दास, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–21.03.2023 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–वन–19 का उत्तर।

क्रं० सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के अधिकांश जिला में बायो–डायवर्सिटी पार्क है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। राज्य में 4 जिलों में यथा गड़खंटगां राँची, घोड़ाबंधा जमशेदपुर, गोड्डा एवं दिघरिया देवघर में बायो–डायवर्सिटी पार्क का निर्माण किया गया हैं।
2.	क्या यह बात सही है कि चतरा जिला वन अच्छादित जिला में एक है और जिला मुख्यालय से वन भूमि महज 2 कि०मी० की दूरी पर स्थित है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि वन आच्छादित क्षेत्रों या जिलों में बायो–डायवर्सिटी पार्क निर्माण कराने हेतु सरकार की सहमति, बनी है;	विभाग द्वारा बंदरजोरी, दुमका एवं फूलो–झानों साहेबगंज में बायो–डायवर्सिटी पार्क निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चतरा जिला मुख्यालय में बायो–डायवर्सिटी पार्क निर्माण कराने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	चतरा जिला में कोल्हुआ, हंटरगंज में कौलश्वरी मंदिर के समीप वन भूमि पर आरोग्य वन बनाया जा रहा है। चतरा जिला मुख्यालय में बायो–डायवर्सिटी पार्क निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त नहीं है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक– 5/वि0स0 तारांकित प्रश्न–42/2023–1071 व0प0, दिनांक–20/03/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1002, दिनांक–05.03.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/03/23

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

579

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक–21.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या –टन–26 का उत्तर–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, सदस्य विधान सभा	*श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य ने देश को पुरूष एवं महिला वर्ग में हॉकी के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी दिये है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि खूँटी एवं सिमडेगा जिले में अक्टूबर, 2021 में अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का शिलान्यास किया गया था परन्तु इसे आज तक पूरा नहीं किया गया है;	खूँटी एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम का निर्माण लगभग पूर्ण एवं हस्तांतरण की प्रक्रिया में है। सिमडेगा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का निर्माण कार्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के माध्यम से माह जनवरी, 2023 में प्रारंभ किया गया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य के हॉकी खिलाड़ियों के हित में शीघ्र अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उत्तर कंडिका–3 में अन्तर्निहित है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–35/2023 605 / राँची, दिनांक 18.03.2023

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0–844/वि०स०, दिनांक–01.03.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/3/2023

सरकार के उप सचिव

~~0587~~ 582

सुश्री अम्बा प्रसाद, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 21.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन-37 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग की श्री रामनवमी पर्व को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है एवं हजारीबाग रामनवमी का 100 से अधिक वर्ष का गौरवशाली इतिहास रहा है,	1.	**आंशिक स्वीकारात्मक** हजारीबाग में रामनवमी पर्व का आयोजन लम्बी अवधि से हो रहा है। इस पर्व को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त होने एवं सौ वर्षों से अधिक के गौरवशाली इतिहास होने का कोई दस्तावेजों साथ्य उपलब्ध नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग रामनवमी को इंटरनेशनल रामनवमी का दर्जा प्राप्त है जिसकी पहचान देशभर में है एवं दूर–दूर से श्रद्धालु रामनवमी का जुलूस देखने हजारीबाग पधारते है,	2.	**आंशिक स्वीकारात्मक** हजारीबाग रामनवमी को इंटरनेशनल रामनवमी का दर्जा प्राप्त होने संबंधी कोई दस्तावेजी साथ्य उपलब्ध नहीं है, तथपि रामनवमी जुलुस को देखने झारखण्ड के विभिन्न भागों से श्रद्धालु आते है।
3.	क्या यह बात सही है कि राज्य के अन्य जिलों में रजरप्पा महोत्सव, इटखोरी महोत्सव, संथाल महोत्सव इत्यादि तरह के आयोजन होते रहते है,	3.	**आंशिक स्वीकारात्मक** राज्य के अन्य जिलों में इटखोरी महोत्सव, हिजला मेला, माघी मेला आदि राजकीय महोत्सवों/मेला का आयोजन होता है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार हजारीबाग रामनवमी महापर्व की महत्व और भव्यता को देखते हुए हजारीबाग की रामनवमी को सरकारी मान्यता प्रदान कर प्रत्येक वर्ष रामनवमी महोत्सव आयोजित कराने व पर्यटन संबंधित वेबसाइटों में महापर्व का प्रचार प्रसार इत्यादि कराने का विचार रखती है, हॉ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	4.	हजारीबाग रामनवमी के अवसर पर महोत्सव/मेला का आयोजन नहीं होता है। मात्र रामनवमी का जुलुस निकलता है तथा जुलुस को राजकीय मेला/महोत्सव घोषित किए जाने संबंधी प्रावधान नहीं है। भारत सरकार द्वारा उत्सवों के लिए बनाये गये उत्सव पोर्टल (www.utsav.gov.in) पर हजारीबाग रामनवमी उत्सव को फोटो एवं विवरणी के साथ होस्ट करते हुए प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। उक्त उत्सव के आयोजन का समय आने पर उक्त पोर्टल के मुख्य पृष्ठ पर up coming events के रूप में यह प्रदार्शित होगा।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/41/2023.....602...../राँची, दिनांक...18.03.2023.....

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1001/वि०स०, दिनांक–05/03/2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/03/2023

सरकार के उप सचिव

जितेन्द्र

581

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–21.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ०–12

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह केन्द्र सरकार द्वारा घोषित आकांक्षी जिला है, जहाँ से राज्य से बाहर पलायन करने वाले सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक। गिरिडीह जिला नीति आयोग भारत सरकार द्वारा आकांक्षी जिला के रूप में घोषित है। जहाँ तक प्रवासी मजदूर के पलायन का मामला है। यह श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित है।
2	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह में बगोदर और सरिया प्रखण्ड 6 लेन NH 19 और दिल्ली–कोलकाता रेलवे लाईन के मध्य है, जहाँ संभावना के बावजूद कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं हैं;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह में बगोदर प्रखण्ड में बेको, करमाबाद हाल्ट और बरवाडीह के मध्य 3000 एकड़ से ज्यादा परती भूमि उपलब्ध है, जो रेलवे लाईन से सटा और जीटी रोड से नजदीक हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पलायन रोकने और रोजगार हेतु बगोदर को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर उद्योग को बढ़वा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति–2021 एवं अन्य नीतियों के तहत विभिन्न औद्योगिक इकाईयों को प्रोत्साहन एवं अनुदान की राशि स्वीकृत करने का प्रावधान है। उद्यमियों से उनके औद्योगिक इकाईयों की स्थापना का प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रावधानानुसार अनुमान्य लाभ देने की कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01 / विधानसभा–03–21 / 23 349 /राँची, दिनांक:– 20/03/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–938 दिनांक–04.03.2023 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/03/2023

सरकार के अवर सचिव

582

श्री अमित कुमार मंडल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–21.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–उत–20 का उत्तरः–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के गोड्डा प्रखण्ड अन्तर्गत सिकटिया में पिछले दो वर्ष से तकनीकी शिक्षा हेतु छात्रों के लिए पॉलिटेकनिक कॉलेज, भवन समेत सभी तरह के आधारभूत संरचना बन कर तैयार है ;	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित कॉलेज में नामांकन प्रारंभ नहीं होने से जिले के गरीब छात्रों को बाहर जाकर नामांकन कराने को मजबूर है;	अस्वीकारात्मक राज्य में वर्तमान में 17 राजकीय पोलिटेकनिक तथा 08 पी0पी0पी0 मोड पर पोलिटेकनिक संस्थान संचालित हैं। इन संस्थानों में झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा आयोजित प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से मेधा के आधार पर नामांकन की जाती है। किसी भी जिले के छात्र को उस जिले में स्थापित संस्थान में नामांकन में प्राथमिकता देने का कोई प्रावधान नहीं है।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित पॉलिटेक्निक कॉलेज को नामांकन के लिए सरकार द्वारा अब तक स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है ;	राजकीय पोलिटेकनिक, गोड्डा का संचालन PanIIT Reach for Jharkhand Foundation (PREJHA Foundation) के माध्यम से कराये जाने हेतु विभागीय संकल्प संख्या–831, दिनांक–25.08.2022 द्वारा निर्णय लिया गया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं; तो क्या सरकार नव निर्मित पॉलिटेक्निक कॉलेज, गोड्डा में वित्तीय वर्ष 2023–24 में छात्रों का नामांकन एवं पढ़ाई प्रारंभ करने का विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	नव निर्मित पॉलिटेक्निक कॉलेज, गोड्डा का संचालन PanIIT Reach for Jharkhand Foundation (PREJHA Foundation) के माध्यम से शैक्षणिक वर्ष 2023–24 से प्रारम्भ करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
नेपाल हाऊस, योजना भवन, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक–त0शि0प्र0 / वि0स0–06 / 2023 - 306 /राँची, दिनांक–19.03.2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके पत्रांक–1010, दिनांक–06.03.2023 के आलोक में 200 प्रतियाँ के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/03/23
(रवि शंकर)
सरकार के उप सचिव।

583

श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–21.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ0–08

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (पी.एम.ई.जी.पी.) के तहत झारखण्ड में छह हजार (6000) युवक–युवतियों को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था;	आंशिक स्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (पी.एम.ई.जी.पी.) के तहत झारखण्ड में नयी इकाइयों की स्थापना हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा भौतिक लक्ष्य 5436 तथा स्थापित इकाइयों के लिए 2nd लोन का भौतिक लक्ष्य 72 निर्धारित किया गया है।
2	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पी.एम.ई.जी.पी. के तहत अब तक राज्य के कितने युवक–युवतियों को स्वरोजगार से जोड़ने एवं लक्ष्य के अनुरूप रोजगार से वंचित युवक–युवतियों को एवं रोजगार देने की पहल का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	स्वीकारात्मक। ➢ विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित लक्ष्य 5436 के विरूद्ध दिनांक 02 मार्च 2023 तक कुल 2713 युवक–युवतियों का ऋण स्वीकृत किया गया तथा 1644 आवेदन पत्र बैंकों में स्वीकृति हेतु लंबित है। ➢ उक्त स्वीकृत आवेदनों में दिनांक 02 मार्च 2023 तक कुल 1112 युवक–युवतियों को ऋण एवं अनुदान वितरण किया गया है तथा 507 मामले में अनुदान प्रकियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01 / विधानसभा–03–17 / 23 347 / राँची, दिनांकः– 20/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–841 दिनांक–02.03.2023 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/03/2023
सरकार के अवर सचिव

S-84

सुश्री अम्बा प्रसाद, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 21.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–उत–22 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला मुख्यालय में एकमात्र महिला डिग्री महाविद्यालय है;	स्वीकारात्मक। हजारीबाग जिला मुख्यालय में मात्र एक अंगीभूत महिला डिग्री महाविद्यालय के0बी0 महिला महाविद्यालय है।
2.	क्या यह बात सही है कि बड़कागांव व केरेडारी प्रखण्ड में एक आबादी निवास करती है तथा उक्त क्षेत्र में एक भी महिला डिग्री महाविद्यालय नहीं है;	आंशिक स्वीकारात्मक। बड़कागांव एवं केरेडारी प्रखण्ड में विनोबा भावे विश्वविद्यालय से स्थायी संबद्धता प्राप्त कर्णपुरा कॉलेज बड़कागांव तथा केरेडारी से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर वनांचल कॉलेज, टंडवा में अवस्थित है, जिसमें सह–शिक्षा (Co-education) की पढ़ाई होती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा बडकागाँव विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत डिग्री स्तरीय महाविद्यालय प्रस्तावित है, जिसके लिए भूमि चिन्हित है।
3.	क्या यह बात सही है कि क्षेत्र में महिला डिग्री महाविद्यालय नहीं होने के कारण अति सुदूरवर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाले छात्राएं उच्च शिक्षा ग्रहण करने में सक्षम नहीं हो पाती है जिसके कारण इंटरमीडिएट के बाद डिग्री में काफी कम छात्राएं नामांकित होती है;	आंशिक स्वीकारात्मक। कर्णपुरा कॉलेज, बड़कागांव एवं वनांचल कॉलेज, टंडवा में अति सुदूरवर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाले छात्र–छात्राएं स्नातक स्तर की शिक्षा ग्रहण करते है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बड़कागांव में महिला डिग्री महाविद्यालय की स्थापना कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	कंडिका–1, 2 एवं 3 में उत्तर सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक–01/वि0स0–41/2023–711/ रॉची, दिनांक 19/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–1126, दिनांक–13.03.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/23

(सुरेश चौधरी)
सरकार के उप सचिव।

585

श्री भानु प्रताप शाही, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 21.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–06 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला अंतर्गत सुखलदरी जलप्रपात, केतार चर्तुभुजी मंदिर तथा राजापहाड़ी मंदिर अवस्थित है,	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–(1) में वर्णित सभी पर्यटन स्थलों पर विभाग की उपेक्षा के चलते समग्र विकास नहीं हो सका है, जिसके कारण पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है,	2.	अस्वीकारात्मक इन स्थलों पर विभाग द्वारा जिला को आवंटित निधि से निम्न कार्य कराया गया है:– <u>सुखलदरी जलप्रपात</u> – सामुदायिक शौचालय–02, यात्री शेड, बेंच–06 का निर्माण तथा विश्राम गृह एवं सीढ़ी का जीर्णोद्धार। <u>चर्तुभुजी मंदिर, केतार</u> – विवाह मंडप, बेंच–06, सोलर लाईट, गेट तथा अन्य पर्यटकीय विकास कार्य। <u>राजापहाड़ी</u> – यात्री शेड–02, बेंच–06, सोलर लाईट व राजा पहाड़ी शिव मंदिर की सुरक्षा हेतु गार्डवाल का निर्माण।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित सभी पर्यटन स्थलों का समग्र विकास कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3.	सुखलदरी जलप्रपात तथा चर्तुभुजी मंदिर मंदिर श्रेणी–C का तथा राजापहाड़ी श्रेणी–D का पर्यटक स्थल अधिसूचित है। इन स्थलों पर विभाग की निधि से कई कार्य कराये गये है, जिनका उल्लेख उपरोक्त कंडिका–2 में किया गया है। इन स्थलों पर अतिरिक्त आवश्यक विकासत्मक कार्य/आवश्यक सुविधा हेतु उपायुक्त, गढ़वा से प्रस्ताव व प्राक्कलन मांगा गया है। प्रस्ताव व प्राक्कलन प्राप्त होने पर बजट उपलब्धता के अनुसार निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

<u>पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग</u>

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/06/2023 486 /राँची, दिनांक 04.03.2023

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–77/वि०स०, दिनांक–21/02/2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.03.23

सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

586

श्री सुखराम उराँव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 21.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० तज०–39 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है, कि पश्चिम सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के बंदगाँव प्रखण्ड में "हिरणी जलप्रपात" अतिथि निवास है,	1.	आंशिक स्वीकारात्मक टूरिस्ट कॉम्पलेक्स निर्मित है।
2.	क्या यह बात सही है, कि खण्ड–1 में उल्लेखित "हिरणी जलप्रपात" को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु कार्य प्रारंभ किया गया था जो आजतक पूर्ण नहीं हो पाया है,	2.	आंशिक स्वीकारात्मक हिरणी जलप्रपात में मूलभूत संरचना का निर्माण किया गया है, परन्तु टूरिस्ट कॉम्पलेक्स, हेसाडीह (हिरणी जलप्रपात) में निर्माण से संबंधित कुछ कार्य अपूर्ण है।
3.	क्या यह बात सही है, कि 19 वर्षों तक कार्य पूर्ण नहीं हो पाने से पर्यटकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है,	3.	आंशिक स्वीकारात्मक
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–01 में उल्लेखित "हिरणी जलप्रपात" को अधूरे कार्य को अविलम्ब पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	4.	हिरणी जलप्रपात में पर्यटकों हेतु सुविधा उपलब्ध है। हिरणी जलप्रपात के पास हेसाडीह में विभाग द्वारा टूरिस्ट कॉम्पलेक्स निर्मित है। इस भवन के Civil work का कार्य पूर्ण हो गया था तथा विद्युत जलापूर्ति एवं सेनिटेशन का कार्य बाकी था। योजना का कार्यन्वयन झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड से कराया जा रहा था। कार्यकारी एजेंसी द्वारा कार्य में अत्यधिक विलंब किया जा रहा था। कार्य में अत्यधिक विलम्ब को देखते हुए निर्माण कार्य को यथास्थिति बन्द करते हुए अवशेष कार्य नये सीरे से झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि० से कराने का निर्णय लिया गया एवं इस भवन को PPP मोड पर संचालन हेतु झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि० को हस्तांतरित किया था। PPP मोड पर संचालन की स्थिति में भवन का अवशेष कार्य PPP पार्टनर द्वारा कराया जाना था। परंतु PPP पार्टनर नहीं मिलने के कारण इसका अवशेष कार्य एवं संचालन प्रारम्भ नहीं हो सका। विभागीय आदेश संख्या 06, दिनांक 25.01.2022 द्वारा इस भवन को झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि० से वापस लेते हुए संचालन की जिम्मेदारी उपायुक्त, प० सिंहभूम को दी गई है। इस संरचना में अवशेष कार्य को पूर्ण कराने हेतु जिला स्तर पर प्राक्कलन तैयार कराया जा रहा है। जिला से प्राक्कलन प्राप्त होने पर स्वीकृति देते हुए यथाशीघ्र आवश्यक अवशेष कार्य पूर्ण कराया जायेगा। तदोपरांत इसका संचालन प्रारम्भ हो सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन / वि०स० / 48 / 2023 603 / राँची, दिनांक 18.03.2023

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1123 / वि०स०, दिनांक–13 / 03 / 2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/3/2023

सरकार के उप सचिव

जितेन्द

587

880
19/03/2023

श्री नारायण दास, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–35 क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 1917 दिनांक 11.10.2021 के माध्यम से सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग को यह पत्र प्रेषित की गई थी कि वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त कर नियमावली बनाकर सभी वित्त रहित कर्मचारी की सेवा सरकारी संवर्ग में करते हुए वेतनमान् देने का अनुरोध किया गया है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करते हुए नियमावली बनाकर सभी वित्त रहित कर्मचारी की सेवा सरकारी संवर्ग में करने एवं वेतनमान देने के संदर्भ में माननीय स.वि.स., श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह के पत्रांक–DPS/155/2021-22 दिनांक–30.08.2021, जो माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय के गै0स0प्रे0सं0–3600959 दिनांक–08.09.2021 के द्वारा विभाग को प्राप्त हुआ था, की प्रति समुचित कार्रवाई हेतु निदेशालीय पत्रांक–1917 दिनांक–11.10.2021 के द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड, रांची को प्रेषित की गई है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित पत्र के आलोक में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिस कारण इसमें कार्यरत राज्यान्तर्गत 5 हजार से अधिक शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मियों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुकी है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति संबंधित संस्थान के शासी निकाय के द्वारा की जाती है तथा ये कर्मी सरकारी कर्मी नहीं होते है। इन कर्मियों के वेतन भुगतान का दायित्व संबंधित संस्थान के शासी निकाय की होती है। झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004 में उल्लेखित पात्रता प्राप्त तथा झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान), नियमावली, 2004 में निर्धारित नियमों का अनुपालन करने वाली शैक्षणिक संस्थानों को अनुदान अनुमान्य एवं देय है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित पत्र के आलोक में वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत् कार्यरत उक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को वेतनमान् देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत् कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवा सरकारी संवर्ग मे करते हुए वेतनमान देने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

विश्वा... 19/03/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–66/2023...880... राँची, दिनांक 19/03/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वा... 19/03/23
सरकार के अवर सचिव।

(588)

877
19/03/2023

श्री अमित कुमार मंडल, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि०–51
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के प्रखण्ड–गोड्डा अन्तर्गत मालिनी हाई स्कूल को + टू में उत्क्रमित करने संबंधित सारी अर्हत्तायें पूरा करता है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राज्यान्तर्गत सरकारी +2 उच्च विद्यालय की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करने के निमित विभागीय पत्रांक–1471 दिनांक 15.09.2020 के द्वारा आवश्यकता के संदर्भ में सर्वेक्षण कराकर विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है। उक्त समिति द्वारा अतिरिक्त आवश्यक +2 उच्च विद्यालय का आकलन एवं अनुशंसा विभाग को उपलब्ध कराने हेतु निम्न आधार पर किये जाने का प्रावधान है :– 1. 10000 (दस हजार) की आबादी पर तथा प्रत्येक 7–8 किलोमीटर की परिधि में एक +2 विद्यालय की अनुशंसा की जाय। 2. यदि 7–8 किलोमीटर की परिधि में कोई स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त इंटर महाविद्यालय संचालित हो, तो +2 विद्यालय में उत्क्रमण की अनुशंसा नहीं जायेगी। 3. जिस विद्यालय में उत्क्रमण हेतु अनुशंसा किया जाना है, वहाँ अतिरिक्त भवन निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। 4. जिस भूखण्ड में वर्तमान भवन स्थापित है, उसका रकबा, कमरों की संख्या एवं नामांकित विद्यार्थियों की संख्या भी अंकित की जायेगी। 5. जिस विद्यालय को +2 विद्यालय में उत्क्रमित करने की अनुशंसा की जानी है, उसके 7–8 किलोमीटर की परिधि में (पोषक क्षेत्र) कम–से–कम तीन माध्यमिक विद्यालय का होना आवश्यक है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोड्डा के पत्रांक 430 दिनांक 09.03.2023 के प्रतिवेदनानुसार उच्च विद्यालय मालिनी से उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय लुकलुकी की दूरी 03 किलोमीटर एवं +2 उच्च विद्यालय, गोड्डा की दूरी 05 किलोमीटर, जबकि स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त वीर कुंवर सिंह इंटर महाविद्यालय की दूरी 03 किलोमीटर है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उच्च विद्यालय, मालिनी को प्लस टू विद्यालय का दर्जा देना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्डों में सन्निहित है।

विझा।।। 19/03/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.01–95 / 2023..877.................. राँची, दिनांक 19/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विझा।।। 19/03/23
सरकार के अवर सचिव।

589

श्री रामचन्द्र सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 21.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० तन–18 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है, कि विभाग की उदासीनता के कारण लातेहार जिला अन्तर्गत देश के पौराणिक धरोहर बेतला का पलामू किला, नवागढ़ का मुर्गाडीह किला तथा पलामू जिला के चैनपुर स्थित शाहपुर किला का संरक्षण एवं विकास कार्य हेतु क्रमशः 7,20,00,000/– प्रशासनिक स्वीकृति एवं 3,61,55,000/– का प्राक्कलन का तकनीकी अनुमोदन के उपरान्त भी कार्य प्रारंभ नही किया जा सका है,	1.	अस्वीकारात्मक
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित धरोहरों का संरक्षण एवं विकास कार्य हेतु अविलम्ब कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	2.	1. पलामू किला (पुराना एवं नया) एवं शाहपुर किला के संरक्षण एवं विकास कार्यों हेतु विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त राशि के विरूद्ध ₹7,20,00,000 का आवंटन उपायुक्त, लातेहार को दी गयी थी। उपायुक्त, लातेहार द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु किसी भी सक्षम एजेन्सी का चयन नहीं हो पाने की सूचना देते हुए संपूर्ण आवंटित राशि सूद सहित सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, राँची को वापस कर दी। सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, राँची के पत्रांक 65, दिनांक 20.05.22 के द्वारा पलामू किला (पुराना एवं नया) के संरक्षण/जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य करने हेतु महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली को अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के आलोक में अद्यावधि उत्तर अप्राप्त है। 2. उपायुक्त कार्यालय, लातेहार द्वारा शाहपुर किला के संरक्षण एवं विकास कार्य हेतु कुल ₹3,61,55,000 का प्राक्कलन, जो मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग के स्तर से तकनीकी अनुमोदित है, प्रशासनिक स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया है। उक्त के आलोक में प्राक्कलन की जाँच हेतु Indian National Trust For Art & Cultural Heritage (INTACH), New Delhi को सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, राँची के पत्रांक 376 दिनांक 24.10.2019 द्वारा प्रेषित किया गया है परन्तु INTACH से जाँच प्रतिवेदन अद्यावधि अप्राप्त है। शाहपुर किला के संरक्षण एवं विकास कार्य के तहत् कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, डालटनगंज के अधियाचना के आलोक में ₹70,00,000 रूपये चेक के माध्यम से उपायुक्त, पलामू को उपलब्ध कराया गया है। उक्त राशि के विरूद्ध कार्य स्थल पर चहारदिवारी का निर्माण कार्य किया गया है। 3. उपरोक्त कार्य संपन्न होने के उपरांत नवागढ़ स्थित मुर्गीडीह किला के जीर्णोद्धार पर विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/29/2023 600 /राँची, दिनांक 18.03.2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–485/वि०स०, दिनांक–25/02/2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/03/2023

सरकार के उप सचिव

जितेन्द्र

590

डॉ० लम्बोदर महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–21.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ0–05

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि उद्योग विभाग सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) विभाग, झारखण्ड सरकार का संकल्प संख्या–1151, दिनांक–20.10.2022 एवं निदेशक उद्योग, उद्यम निदेशालय, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 1966/राँची, दिनांक–02.11.2022 को भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित टेक्नोलॉजी सेन्टर का स्थापना हेतु निदेशालय, परियोजना भूमि एवं पुनर्वास बोकारो क्षेत्र मौजा–केन्दुआवडीह, थाना–जरीडीह, मौजा संख्या–09 के खाता नं0 27, 15, 12 सर्वे प्लॉट नं0 336, 337, 339 अंश कमशः रकबा कुल 20.46 एकड़ भूमि हस्तांतरण कर लीज बंदोबस्ती की दिशा में अब तक आवश्यक कार्रवाई नहीं किया गया है;	अस्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त स्थल पर Technology Center शीघ्र स्थापित कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उद्योग विभाग के संकल्प सं0 1151 दिनांक 20.10.2022 के आलोक में कुल 20.46 एकड़ भूमि का एक रूपये सांकेतिक मूल्य पर नवीकरण के विकल्प के साथ विकास आयुक्त, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) भारत सरकार, नई दिल्ली से टेक्नोलॉजी सेन्टर की स्थापना हेतु 30 वर्षों के लिए लीज बंदोबस्ती हेतु किसी पदाधिकारी को नामित/प्रतिनियुक्त करने का अनुरोध दिनांक–04.03.2023 को किया गया है। लीज बन्दोबस्ती औपचारिकता उपरान्त Technology Center की स्थापना प्रारंभ की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–11/23 342 /राँची, दिनांक:– 20/03/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–241 दिनांक–23.02.2023 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/03/2023

सरकार के अवर सचिव

591

श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 21.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–25 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कोलेबिरा प्रखण्ड में सूफी संत, अंजानशाह पीर का मजार अवस्थित है,	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि अंजानशाह पीर के मजार पर सालों भर सभी धर्म समुदाय के लोग आस्था के साथ पुजा अर्चना एवं चादर चढ़ाते हैं,	2.	स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है कि अंजानशाह के मजार पर साल में एक बार उर्स मेले का आयोजन किया जाता है,	3.	स्वीकारात्मक
4.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सभी समुदायों के सालों भर की भक्ति आस्था एवं सालाना उर्स मेला को ध्यान में रखते हुए इसे पर्यटन स्थल घोषित करते हुए पर्यटकों को विशेष सुविधा देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	4.	प्रश्नाधीन स्थल पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं है। जिला पर्यटन संवर्धन परिषद व तदोपरांत राज्य पर्यटन संवर्धन समिति की अनुशंसा के आलोक में पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा किसी भी स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित किया जाता है जिसके पश्चात उक्त स्थल के विकास हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है। विभागीय पत्रांक 466 दिनांक 03.03.2023 द्वारा उक्त स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव जिला पर्यटन संवर्धन परिषद के समक्ष विचारार्थ रखने हेतु उपायुक्त –सह–अध्यक्ष, जिला पर्यटन संवर्धन समिति, सिमडेगा को निदेशित किया गया है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/31/2023.....510...../राँची, दिनांक.....10.03.2023.....

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–626/वि०स०, दिनांक–27/02/2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.03.23

सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

592

श्री अमित कुमार यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–21.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ0–13

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में उद्योगों की स्थापना हेतु वांछित प्रक्रिया के सरलीकरण करने के लिए सिंगल विण्डो सिस्टम की स्थापना 20 वर्ष पूर्व की गई थी;	आंशिक स्वीकारात्मक। सिंगल विण्डो सिस्टम एक्ट–2015 दिनांक 06.04.2016 से प्रभावी है, जिसके तहत् सिंगल विण्डो पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभागों से स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित सिस्टम कार्यान्वित रहने के बाद भी उद्योग की स्थापना हेतु सैकड़ो आवेदन को लंबित रखा जा रहा है, जिससे धरातल पर उद्योग नही लग रहे है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर सकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक उद्योग स्थापना हित में Single Window System को दुरूस्त करते हुए उद्योग स्थापना हेतु लंबित पड़े सभी आवेदनों का निष्पादन अविलम्ब कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?	झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम–2011 एवं Single Window Clearance Act 2015 के अन्तर्गत उद्योग स्थापित एवं संचालित करने से संबंधित विभिन्न सेवाओं को एक निश्चित समय सीमा में निष्पादित करने का कानूनी प्रावधान है। लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन हेतु विभाग सतत् प्रयत्नशील है। Single Window System में आवेदन प्राप्त होना एवं उसका निष्पादन एक सतत् प्रक्रिया है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01 / विधानसभा–03–24 / 23 348 /राँची, दिनांक:– 20/03/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1121 दिनांक–13.03.2023 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/03/2023

सरकार के अवर सचिव

593

885
19/03/2023

डॉ. नीरा यादव, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–02 क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि कोडरमा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न प्रखण्डों के 50 प्रतिशत से भी अधिक प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय में चहारदिवारी नहीं है, जिससे स्थानीय छात्र–छात्राओं के पठन कार्य बाधित होते हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक। कोडरमा जिले में कुल 677 प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च विद्यालय अवस्थित हैं। इन 677 विद्यालयों में से कुल 237 विद्यालयो में चहारदिवारी उपलब्ध है। शेष विद्यालयों में चहारदिवारी एवं अन्य बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक F. No. 21-8/2022-IS-9-Part (i) दिनांक 19.12.2022 द्वारा विद्यालयों के बुनियादी आधारभूत संरचना पूरा करने हेतु 15वीं वित्त आयोग, मनरेगा तथा DMFT में उपलब्ध निधि का उपयोग करते हुए पूरा करने का निदेश दिया गया है। सचिव, भारत सरकार के पत्र के आलोक में सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक JEPC/CIV/03/767/2022/101 दिनांक 11.01.2023 द्वारा जिले के उपायुक्त को पत्र दिया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिला अन्तर्गत खण्ड (1) में वर्णित विद्यालयों में पानी एवं शौचालय की व्यवस्था नहीं रहने के कारण स्थानीय छात्र–छात्राओं तथा शिक्षक–शिक्षिकाओं को कठिनाईयाँ होती हैं;	अस्वीकारात्मक। यू.डायस के ऑकडों के अनुसार कोडरमा जिले में 2 विद्यालयों में बालक तथा 1 विद्यालय में बालिका शौचालय उपलब्ध नहीं है। इसे भी संबंधित विद्यालय को उपलब्ध कराने हेतु कंडिका–1 में उल्लेखित पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कोडरमा जिला के सभी उपर्युक्त प्रखण्डों में स्थित खण्ड (1) में वर्णित विद्यालयों में चहारदिवारी, पानी एवं शौचालय का अविलम्ब निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्ड–1 एवं 2 में सन्निहित है।

विभा।।। — 19/03/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स. 01–22 / 2023...885............ रॉंची, दिनांक 19/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रॉंची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विभा।।। — 19/03/23
सरकार के अवर सचिव।

(594)

श्री अमित कुमार यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–21.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ0–14

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में 28% भू–भाग वन अच्छादित क्षेत्र है, जहाँ से प्रचुर मात्रा में वन पदार्थ (वन औषधीय एवं वनोपज सहित) यथा महुआ, डोरी, चिरौजी, कुसुम, इमली, लाह, चिरैता, तुलसी, नीम, आँवला, एलोवेरा, अश्वगंधा, ब्राह्मणी, लेमनग्रास, भृंगराज, आदिव्यापक रूप से पाये जाते हैं;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित वन पदार्थो के Processing Plant की स्थापना राज्य में नहीं की गयी है;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक रूप से राज्य के सभी जिलों में वनोपज पदार्थ का Processing Plant अधिष्ठापित करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड द्वारा MSME मंत्रालय, भारत सरकार की SFURTI (Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries) योजनान्तर्गत निम्न वनोत्पाद इकाईयों की स्थापना की जा रही है:– 1. LahProcessing Unit, बुण्डू, राँची। 2. Honey Processing Unit, कुडू, लोहरदगा। 3. Bamboo Craft unit, बुण्डू, राँची। इसके अलावे यदि कोई भी उद्यमी वनोपज आदि से संबंधित उद्योग स्थापित करना चाहे तो झारखण्ड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति–2021 तथा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खादय उद्योग उन्नयन योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन एवं अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–25/23 344 /राँची, दिनांकः– 20/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1122 दिनांक–13.03.2023 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/03/2023
सरकार के अवर सचिव

595

875
19/03/2023

श्री किशुन कुमार दास, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–52 क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि चतरा जिलान्तर्गत प्रखण्ड ईटखोरी में परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, ईटखोरी का निर्माण सन् 1982 ई. में कराया गया था, जो काफी जर्जर हो गया है और कभी भी स्कूल के भवन का गिरने का शंका बना रहता है, जिससे वहाँ अध्ययनरत छात्राओं के साथ कभी भी दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है;	स्वीकारात्मक। परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, ईटखोरी 1981–82 चरण का परियोजना विद्यालय है, जो काफी जर्जर स्थिति में है। विद्यालय निर्माण कार्य 2009–10 में प्रारंभ किया गया था, किन्तु जिला अभियंता जिला परिषद्, चतरा द्वारा राशि गबन का मामला प्रकाश में आने पर उन पर प्राथमिकी दर्ज की गई, जो अभी जिला न्यायालय में लंबित है।
2.	क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड ईटखोरी ग्राम सोनिया में मध्य विद्यालय का भवन काफी जर्जर स्थिति में है, जिसके कारण पढ़ाई बन्द करा दिया गया है एवं वहाँ के छात्र–छात्राओं को 3 कि.मी. की दूरी तय कर अन्यत्र पढ़ाई करने जाने को मजबूर हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक। प्रखण्ड ईटखोरी ग्राम सौनिया में मध्य विद्यालय का भवन जर्जर स्थिति में है तथा विद्यालय में पठन–पाठन कार्य बंद है। तत्काल यहाँ के छात्र–छात्रा पठन–पाठन हेतु उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय, एरकी, ईटखोरी में जाते हैं, जो सौनिया से लगभग 400 मीटर की दूरी पर है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त विद्यालयों का नया भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	खण्ड–1 में वर्णित विद्यालय परियोजना उच्च विद्यालय में पूर्व की योजना लंबित है एवं मामला न्यायालय में लंबित है। योजना को पूरा कराने हेतु कार्य प्रारंभ करने हेतु जिला परिषद् से इस योजना को बन्दर करना होगा। योजना को पूरा कराने हेतु कार्य की अंतिम मापी एवं अवशेष कार्य का प्राक्कलन जिला स्तर पर तैयार किया जा रहा है। खण्ड–2 के विद्यालय मध्य विद्यालय सौनिया के भवन मरम्मति का प्राक्कलन जिला द्वारा तैयार किया जा रहा है। खण्ड–1 में वर्णित विद्यालय के पूर्व योजना को बन्द करने के बाद तथा खण्ड–2 के विद्यालय में योजना के स्वीकृति के उपरांत राशि की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय वर्ष 2023–24 में दोनों विद्यालयों के भवन का निर्माण किया जाना है।

19/03/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.01–94 / 2023 875 राँची, दिनांक 19/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/03/23
सरकार के अवर सचिव।

5 96

882
19/03/2023

श्री विकास कुमार मुंडा, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–54

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में कुछ समय पूर्व *PGT* शिक्षकों की बहाली निकाली गई थी, जिसमें अर्हता के रूप में विभिन्न संकायों में मास्टर्स निर्धारित था;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि एप्लाइड फिजिक्स एवं एप्लाइड मैथ्स से मास्टर्स किये हुए विद्यार्थियों को मास्टर्स इन फिजिक्स और मास्टर्स इन मैथ्स के बराबर का दर्जा नहीं दिया गया था, परिणामस्वरूप उक्त विद्यार्थी झारखण्ड सरकार द्वारा निकाले गए बहाली में एलिजिबल नहीं हो पाए थे;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के +2 उच्च विद्यालयों में मूल विषय के 11 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक पद, यथा– हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, भौतिकीशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, जीव विज्ञान एवं वाणिज्य स्वीकृत हैं। इन पदों पर नियुक्ति हेतु विभागीय अधिसूचना सं. 2425 दिनांक 04.09.2012 के अध्याय–6 कडिका–9(1)(i) में शैक्षणिक योग्यता के संबंध में यह स्पष्ट उल्लेख है कि – "राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय, जिसमें नियुक्ति होनी है, में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री होगी। परन्तु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री होगी। उक्त निर्धारित योग्यता से इतर अन्य/समकक्ष योग्यताधारी रहने का दावा किए जाने एवं उन अभ्यर्थियों की इन पदों पर नियुक्ति नही किये जाने के संदर्भ में गठित उच्च स्तरीय समिति के निर्णय दिनांक 15.03.2019 के आलोक में विभागीय पत्रांक 1073 दिनांक 12.04.2019 द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया है :– *"समिति द्वारा यह अनुशंसा की जाती है कि झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के पत्रांक 3763 दिनांक 13.08.2018 तथा पत्रांक 3945 दिनांक 06.09.2018 के आलोक में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को इस आशय की सूचना से अवगत कराया जाय कि मूल विषयों यथा–हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, भौतिकशास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान एवं वाणिज्य में स्नातकोत्तर अर्हताधारी अभ्यर्थियों की ही नियुक्ति की अनुशंसा की जाय न कि उक्त विषयों के संलग्न विभिन्न Part & Parcel विषय जो Specialized विषय हैं। साथ ही यह भी अनुशंसा की जाती है कि भविष्य में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की सभी नियुक्तियाँ अधिसूचना संख्या–2425 दिनांक– 04.09.2012 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप प्रकाशित विज्ञापन की शर्त्तों के अनुरूप ही किया जाय।"*
3.	क्या यह बात सही है कि ओड़िशा, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश समेत केन्द्र	वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के +2 उच्च विद्यालयों में मूल विषय के 11 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक पद, यथा– हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, भौतिकीशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, जीव विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के शिक्षकों की नियुक्ति "झारखण्ड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त

विभा।।

19/03/23

श्री विकास कुमार मुंडा, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–54

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	सरकार भी एप्लाइड फिजिक्स एवं एप्लाइड मैथ्स से मास्टर्स किये हुए विद्यार्थियों को मास्टर्स इन फिजिक्स और मास्टर्स इन मैथ्स के समतुल्य मानते हुए बहाली में अर्हता प्रदान करती है;	(यथासंशोधित) नियमावली, 2012" विभागीय अधिसूचना सं. 2425 दिनांक–04.09.2012 (समय–समय पर संशोधित) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप, विज्ञापन की प्रकाशित शर्तो के आलोक में की जाती है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अन्य राज्यों की तरह एप्लाइड फिजिक्स एवं एप्लाइड मैथ्स से मास्टर्स किये हुए विद्यार्थियों को मास्टर्स इन फिजिक्स और मास्टर्स इन मैथ्स के समतुल्य योग्यता प्रदान करने का विचार रखती है, हॉं, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा दिनांक 13.04.2022 को इंद्रेश कुमार मिश्रा एवं अन्य बनाम् झारखण्ड राज्य एवं अन्य वाद, सिविल अपील सं. 2217–2218/2022 एवं अन्य समरूप वाद में समरूप मामले में आवेदक अपीलकर्त्ताओं के दावे को खारिज किये जाने की कृपा की गयी है – *"6.1 We have gone through the degrees/ certificates in the case of the respective writ petitioners. It appears that the respective writ petitioners have obtained the postgraduate degrees Bachelor degrees, as the case may be, in one of the branches of History, namely, Indian Ancient History, Indian Ancient History and Culture, Medieval / Modern History, Indian Ancient History, Culture and Archaeology. In our view, obtaining the degree in one of the branches of History cannot be said to be obtaining the degree in History as a whole. As a History teacher, he/she has to teach in all the subjects of History, namely, Ancient History, Indian Ancient History and Culture, Medieval / Modern History, Indian Ancient History, Culture and Archaeology etc. Therefore, having studied and obtaining the degree in only one branch of History cannot be said to be having a degree in History subject as a whole, which was the requirement. All the relevant aspects have been considered and gone into in detail by the learned Single Judge meticulously.* .... *6.4 At this stage, it is required to be noted that even at the request of J.S.S.C. the question, whether, the degrees obtained by the respective petitioners in one branch of History can be said to be sufficient compliance as per the advertisement and can be said to be obtaining a degree in History came to be considered by the Expert Committee and the Expert Committee has opined that the degrees obtained by the respective candidates/petitioners in one branch of History cannot be said to be obtaining the degree in History as a whole and therefore they cannot be said to be having the requisite qualification as per the advertisement."* उपर्युक्त आदेश से वस्तुस्थिति स्वतः स्पष्ट है।

ह0/- 19/03/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–104/2023. 882 .... रॉंची, दिनांक 19/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रॉंची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 19/03/23
सरकार के अवर सचिव।

(597)

887
19/03/2023

श्री दिनेश विलियम मरांडी, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–24

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि लिट्टीपाड़ा विधान सभा क्षेत्र का गोपीकान्दर प्रखण्ड एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र अन्तर्गत आता है;	खंड–1 में अंकित प्रश्न, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से संबंधित नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि गोपीकान्दर प्रखण्ड के कारूडीह खरौनी बाजार के बालिका उच्च विद्यालय में चाहरदिवारी का अभाव है;	स्वीकारात्मक। बालिका उच्च विद्यालय, खरौनी बाजार, कारूडीह में चहारदीवारी उपलब्ध नहीं है।
3.	क्या यह बात सही है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण चाहरदिवारी का नहीं होना घातक हो सकता है;	अस्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छात्राओं के सुरक्षा हेतु उक्त विद्यालय के चाहरदिवारी का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य के सभी विद्यालयों में बुनियादी आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार से निदेश प्राप्त है एवं अनुपालन हेतु, सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा सभी उपायुक्त को निदेश निर्गत है। सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार के पत्रांक– D.O. No- 21-8/2022-IS9 दिनांक 30.12.2022 तथा भारत सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों के सचिवों के संयुक्त पत्रांक F.No.-21-8/2022-IS-9-Part (I) दिनांक 19.12.2022 द्वारा विद्यालयों के बुनियादी आधारभूत संरचना को पूरा करने हेतु जिले में 15वीं वित्त आयोग, मनरेगा तथा DMFT में उपलब्ध निधि का उपयोग करते हुए पूरा करने का निदेश दिया गया है। उपर्युक्त आलोक में सभी जिले के विद्यालयों में यू–डायस 2021–22 के आधार अनुसार, बुनियादी आधारभूत संरचनाओं की कमियों को पूरा करने हेतु सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को DMFT में उपलब्ध निधि से सरकारी विद्यालयों में बुनियादी आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के संबंध में पत्रांक JEPC/CIV/03/767/2022/116 दिनांक 11.01.2023 द्वारा दुमका जिला सहित सभी जिलों के उपायुक्त को पत्र निर्गत किया गया है ।

विभाग –
19/03/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–58/2023...887..... राँची, दिनांक 19/03/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विभाग –
सरकार के अवर सचिव। 19/03/23

श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 21.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–21 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है, कि धनबाद जिला का निरसा विधान सभा क्षेत्र औद्योगिक, खनन एवं घनी आबादी का क्षेत्र है,	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है, कि प्रखण्ड–निरसा के पंचायत उपचुडिया अन्तर्गत ग्राम–पोद्दारडीह में अति प्राचीन बासुदेव मंदिर अवस्थित है,	2.	स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है, कि उपर्युक्त मंदिर प्राचीन होने के कारण दूर–दूर से लोग पूजा–पाठ करने तथा अन्य मांगलिक कार्य के लिए आते है तथा पर्यटन के दृष्टिकोण से भी लोगों का आवागमन होता है,	3.	स्वीकारात्मक
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पर्यटन के दृष्टिकोण से उपर्युक्त मंदिर जीर्णोद्धार, सौन्दर्यीकरण, पानी, बिजली, चाहरदिवारी तथा आंगन में फेवर ब्लॉक आदि का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	4.	प्रश्नाधीन स्थल पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं है। जिला पर्यटन संवर्धन परिषद व तदोपरांत राज्य पर्यटन संवर्धन समिति की अनुशंसा के आलोक में पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा किसी भी स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित किया जाता है जिसके पश्चात उक्त स्थल के विकास हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है। विभागीय पत्रांक 464 दिनांक 03.03.2023 द्वारा उक्त स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव जिला पर्यटन संवर्धन परिषद के समक्ष विचारार्थ रखने हेतु उपायुक्त –सह–अध्यक्ष, जिला पर्यटन संवर्धन समिति, धनबाद को निदेशित किया गया है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/27/2023..585......./राँची, दिनांक 17-03-2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–490/वि०स०, दिनांक–25/02/2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.03.23

सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

599

श्री नारायण दास, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–21.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ0–07

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार की अधिसूचना–1089 दिनांक–06.10.2022 अन्तर्गत झारखण्ड विद्युत वाहन नीति, 2022 लागू की है, जिसके तहत उक्त नीति का लाभ लेने वालों को सरकार 10 हजार से लेकर 02 लाख तक प्रोत्साहन राशि देने के साथ रोड टैक्स एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क फ्री करने का प्रावधान की है;	स्वीकारात्मक। झारखण्ड विद्युत वाहन नीति, 2022 के तहत विभिन्न प्रकार के विद्युत वाहन क्रय करने पर वित्तीय प्रोत्साहन/अनुदान (रू0 10.00 हजार से रू0 1.50 लाख तक) एवं अन्य सुविधाओं का प्रावधान किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित नीति अन्तर्गत सरकार राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इलैक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए ब्याज रहित लोन एवं एडवांस देने का प्रावधान की है;	स्वीकारात्मक। दो पहिये तथा चार पहिये वाहनों के प्रथम क्रय पर राज्य सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए 100% ब्याज रहित ऋण/अग्रिम का प्रावधान किया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित नीति की अधिसूचित होने की तिथि से 05 वर्षों तक के लिए की गयी है, परन्तु सरकार अपनी लापरवाही में राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अब तक उक्त नीति के लाभ से वंचित रखी है;	अस्वीकारात्मक। संदर्भित नीति अधिसूचना की तिथि दिनांक 06.10.2022 से पाँच वर्षों के लिए प्रभावी है। नीति को लागू करने हेतु नियमावली का सुत्रण किया जा रहा है एवं इस निमित्त दिनांक 28.01.2023 को जमशेदपुर में विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ विचार–विमर्श भी किया गया है। प्राप्त सुझावों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–1 में वर्णित नीति का लाभ तत्काल प्रभाव से देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड विद्युत वाहन नीति, 2022 के कियान्वयन के संबंध में उद्योग विभाग द्वारा नियमावली का सूत्रण प्रकियाधीन है जिसके तहत नीति के प्रवृत होने की तिथि से वित्तीय अनुदान/प्रोत्साहन एवं अन्य सुविधाएं देय होंगी।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–13/23 346 /राँची, दिनांकः– 20/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–625 दिनांक–27.02.2023 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/03/23

सरकार के अवर सचिव

600

पंचम झारखण्ड विधान सभा का एकादश (बजट) सत्र में दिनांक 21.03.2023 को श्री नलिन सोरेन, स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 उत–23 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि मंत्रिमण्डल (निगरानी) विभाग राँची के पत्रांक 806, दिनांक 03.07.2009 के द्वारा श्री कौशल सिन्हा (सेवानिवृत्त) व्याख्याता, असैनिक अभि0 राजकीय पोलिटेकनिक, धनबाद को स्वच्छता प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है;	– स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि निगरानी विभाग के पत्रांक 806, दिनांक 03.07.2009 के आलोक में ही श्री कौशल किशोर सिन्हा (सेवानिवृत्त) प्रभारी प्राचार्य राजकीय धनबाद को पत्रांक 484, दिनांक 10.03.2010 द्वारा CAS के तहत प्रोन्नति दी गयी है;	– स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि मंत्रिमण्डल (निगरानी) विभाग के पत्रांक 663 दिनांक 10.06.2011 द्वारा पूर्व में निर्गत श्री सिन्हा के स्वच्छता प्रमाण पत्र (पत्रांक–806, दिनांक 03.07.2009) को निरस्त कर दिया गया है;	– स्वीकारात्मक
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार निगरानी विभाग के पत्रांक 663 दिनांक 10.06.2011 के आलोक में श्री सिन्हा को CAS के तहत प्रदान की गयी प्रोन्नति को निर्गत तिथि से रद्द करने हुए प्रोन्नति में की गयी की सूद सहित वसूली (Recovery)करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	– श्री सिन्हा के विरूद्ध उक्त मामले के अलावे अन्य शिकायते भी प्राप्त हुई है जिसकी जाँच हेतु विभागीय जाँच समिति गठित की गई है। समिति द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित कर दी गयी है। जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त शीघ्र उचित कार्रवाई की जाएगी।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
नेपाल हाऊस, योजना भवन, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक– उ0त0/वि0स0–03/2023 – 309 /राँची, दिनांक– 19.03.2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके पत्रांक 1127 दिनांक 13.03.2023 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/3/2023

(सरकार के अवर–सचिव)

601

श्री रामचन्द्र सिंह, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–21.03.2023 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–वन–12 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला अन्तर्गत मनिका विधानसभा क्षेत्र का अधिकांश भू–भाग यथा बरवाडीह, महुआडांड़, गारू, मनिका, सरयू, लातेहार प्रखण्ड बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पलामू वन्यप्राणी आश्रयणी एवं महुआडांड़ आश्रयणी अन्तर्गत आता है जो परिस्थितिकी संवेदी जोन (ESZ) अन्तर्गत आता है;	स्वीकारात्मक। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं०–2898 दिनांक 9 अगस्त 2019 द्वारा बेतला राष्ट्रीय उद्यान पलामू वन्यप्राणी आश्रयणी एवं महुआडांड़ भेड़िया आश्रयणी के चारों ओर कुल–1253.49 वर्ग कि०मी० का पारिस्थितिकी संवेदी जोन (ESZ) अधिसूचित किया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित प्रखण्डों का अधिकांश भू–भाग ESZ क्षेत्र होने के कारण ध्वनि प्रदूषण आधारित कार्य व्यवसाय कार्य बाधित है जिससे स्थानीय लोगों का स्वरोजगार बाधित हो रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। कंडिका–1 में वर्णित अधिसूचना द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन (ESZ) की सीमा न्यूनतम शून्य से अधिकतम 07 (सात) किलोमीटर तक अधिसूचित है। उक्त अधिसूचना की कंडिका–4 की सारणी–'क' में वर्णित क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों की श्रेणी में रखा गया है।
3. यदि उपर्युक्त खण्ड़ों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित प्रखण्डों में विशेष पैकेज के तहत् स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार योजना मुहैया कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	विभागीय योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। मुख्यमंत्री जन–वन योजना से भी ग्रामीण लाभान्वित होते हैं। विशेष पैकेज का कोई प्रावधान नहीं है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 तारांकित प्रश्न–27/2023–1068 व0प0, दिनांक–20/03/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–371, दिनांक–24.02.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/03/23

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

602

डॉ० इरफान अंसारी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–21.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ0–04

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्गत जामताड़ा जिला के मिहिजाम कानगोई क्षेत्र अन्तर्गत इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जमीन चिन्हित है;	संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्गत जामताड़ा जिला के मिहिजाम कानगोई क्षेत्र में पूर्व से ही इंडस्ट्रियल एरिया संचालित है।
2.	क्या यह बात सही है कि मिहिजाम कानगोई अवस्थित इंडस्ट्रियल एरिया में अनेकों कारखाने इन्वेस्टर के द्वारा स्थापित किये गये थे, जो बिहार राज्य के समय से ही बंद पड़े हैं एवं उद्योगपति जिन्हें उद्योग लगाने के लिए जमीन आवंटित की गई थी। बंद पड़े उद्योगों को पुनः खोलने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, जिससे इन कारखानों में काम करने वाले सैकड़ों मजदूर बेकार हो गए हैं और उनके समक्ष भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसका सर्वेक्षण कराकर इन उद्योगों को पुनर्जीवित करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	रूग्ण औद्योगिक इकाईयों के द्वारा अपने पुनर्जीवन हेतु प्रस्ताव समर्पित करने का प्रावधान है। अबतक किसी भी रूग्ण इकाई से पुनर्जीवन हेतु प्रस्ताव अप्राप्त है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर झारखण्ड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति–2021 के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–10/23 343 /राँची, दिनांकः– 20.03.2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–242 दिनांक–23.02.2023 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/03/2023

सरकार के अवर सचिव

603

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–21.03.2023 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–वन–13 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत प्रखण्ड–चुरचू एवं डाड़ी वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के अधीन है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि वन प्रमण्डल कार्यालय से डाड़ी एवं चुरचू प्रखण्ड के सुदूरवर्ती ग्रामों की दूरी अत्यधिक होने से ग्रामीणों को कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	रामगढ़ वन प्रमंडल से डाड़ी एवं चुरचू प्रखण्ड की दूरी लगभग 23 कि0मी0 एवं 37 कि0मी0 है। उक्त ग्रामों के ग्रामीणों को होने वाली कठिनाईयों के संबंध में कोई भी सूचना/परिवाद इस कार्यालय को प्राप्त नहीं है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित को देखते हुए प्रखण्ड–चुरचू एवं प्रखण्ड–डाड़ी के वन खण्डों को वन प्रमण्डल, रामगढ़ से हटाकर हजारीबाग वन प्रमण्डल पूर्वी में करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	झारखण्ड राज्य में प्रमंडल के प्रक्षेत्र स्तरीय वन विभागीय पुनर्गठन के लिए एक समिति गठित है। इस समिति के समक्ष विभिन्न प्रक्षेत्रों के पुनर्गठन के साथ–साथ चुरचू एवं डाड़ी प्रखण्ड में स्थित वन क्षेत्रों को हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल के प्रादेशिक क्षेत्र में शामिल करने हेतु प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक– 5/वि0स0 तारांकित प्रश्न–28/2023-979 व0प0, दिनांक– 16/03/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–372, दिनांक–24.02.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/03/23

सरकार के अवर सचिव

604

श्री राजेश कच्छप, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शि-25

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात है सही है कि **Jharkhand Academic Council** की सबसे महत्वपूर्ण **Statutory Body, JAC BOARD** का पिछले चार (4) वर्षों से पुनर्गठन नहीं हुआ है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वस्तु-स्थिति यह है कि झारखंड अधिविद परिषद् में संप्रति 07 सदस्य नियुक्त हैं।
2	क्या यह बात सही है कि खंड-1 में वर्णित **BOARD** का गठन नहीं होने से शिक्षण संस्थानों की प्रस्वीकृति, मान्यता आधारभूत संरचना, नियोजन-बजट, नीतिगत निर्णय सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लंबित है, जिसका असर शैक्षणिक विकास पर पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक। वस्तु-स्थिति यह है कि झारखंड अधिविद परिषद् में सदस्यों की कुल संख्या-19 है। वर्तमान में 07 सदस्य नियुक्त हैं। बैठक के कोरम के लिए एक-तिहाई सदस्यों का होना आवश्यक है। कोरम पूरा होने के कारण परिषद् की बैठक आयोजित कर सभी प्रकार के नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। शिक्षण संस्थानों की प्रस्वीकृति, मान्यता आधारभूत संरचना, नियोजन-बजट, नीतिगत निर्णय सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं और शैक्षणिक विकास पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उतर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार **JAC BOARD** का पुनर्गठन कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	झारखंड अधिविद्य परिषद्, अधिनियम-2002 एवं झारखंड अधिविद्य परिषद् संशोधित अधिनियम-2006 के अध्याय-2 की धारा-(4)1 के आलोक में झारखंड अधिविद्य परिषद् के शेष सदस्यों की नियुक्ति हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। शेष सदस्यों के विभिन्न पदों के लिए प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आवेदन प्राप्त कर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

13.03.23

सरकार के अवर सचिव।

झारखंड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-03/JAC-01/2023...-615.../ रांची,दिनांक-...14.03.2023

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, झारखंड, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.3.23

सरकार के अवर सचिव।

605

श्री रामदास सोरेन, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 21.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–उत–18 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत मुसाबनी, डूमुरिया एवं गुडाबंदा प्रखण्ड एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के साथ–साथ एक उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र भी है जहाँ अबतक एक भी डिग्री महाविद्यालय नहीं है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित प्रखण्ड के छात्रों को उच्च स्तर की पढ़ाई करने हेतु घाटशिला या जमशेदपुर जाना पड़ता है, जिसके कारण उक्त क्षेत्र के सैकड़ों गरीब छात्रों को काफी आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक परेशानियॉ का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उक्त क्षेत्र के सैकड़ों गरीब छात्रों को डिग्री स्तर की पढ़ाई से वंचित भी होना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। पूर्वी सिंहभूम जिला अन्तर्गत घाटशिला कॉलेज, घाटशिला, जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर, करीम सिटी कॉलेज (अल्पसंख्यक महाविद्यालय), जमशेदपुर, जमशेदपुर को–ऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर, ए0बी0एम0 कॉलेज, जमशेदपुर, एल0बी0एम0एम0 कॉलेज, जमशेदपुर, जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज, जमशेदपुर डिग्री स्तरीय महाविद्यालय संचालित है। मुसाबनी प्रखण्ड घाटशिला विधानसभा के अंतर्गत है जहां अंगीभूत महाविद्यालय घाटशिला कॉलेज, घाटशिला तथा दो संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय JKM College of Management सालवनी एवं BDSL महिला महाविद्यालय, घाटशिला संचालित है। डुमरिया प्रखण्ड पोटका विधान सभा अंतर्गत है जहां अंगीभूत महाविद्यालय एल0बी0एम0एम0 कॉलेज, करणडीह संचालित है। इसके अतिरिक्त पोटका प्रखण्ड में एक डिग्री महाविद्यालय की स्थापना किया जा रहा है। गुडाबन्दा प्रखण्ड बहरागोड़ा विधान सभा अंतर्गत है जहां अंगीभूत महाविद्यालय बहरागोड़ा महाविद्यालय, बहरागोड़ा तथा दो संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय AJK महाविद्यालय, चाकुलिया एवं शिबू रंजन खॉ महाविद्यालय, चाकुलिया संचालित है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–01 में वर्णित मुसाबनी प्रखण्ड में एक डिग्री महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	वर्तमान में प्रखण्ड स्तर पर डिग्री महाविद्यालय की स्थापना का अभी कोई निर्णय नहीं है। इसके अतिरिक्त GER को देखते हुए जिलावार अतिरिक्त महाविद्यालयों की स्थापना हेतु योजना तैयार की जा रही है।

17/3/23

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक–01 / वि0स0–37 / 2023 717 / रॉची, दिनांक 19/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–940, दिनांक–04.03.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/23
(सुरेश चौधरी)
सरकार के उप सचिव।

606

श्री अनन्त कुमार ओझा, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक–21.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या –टन–23 का उत्तर–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री अनन्त कुमार ओझा, सदस्य विधान सभा	*श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राजमहल विधानसभा क्षेत्र के प्रखण्ड राजमहल में प्रखण्ड स्तरीय इण्डोर स्टेडियम स्थापित नहीं है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित स्थल पर विभिन्न स्पर्द्धाओं के खेल हतु इण्डोर स्टेडियम नहीं होने से क्षेत्र के विभिन्न खेलों के प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्राप्ति हेतु अन्यत्र जिला में जाना पड़ता है, जिसकी निर्माण की मांग यहाँ के युवाओं द्वारा विगत 10 वर्षों से होती रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। साहेबगंज मुख्यालय अंतर्गत सिद्धो–कान्हु स्टेडियम में स्थित चाँद–भैरव इंडोर स्टेडियम में एक बैडमिन्टन कोर्ट पूर्व से अवस्थित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित प्रखण्ड में विभिन्न स्पर्द्धाओं के खेल हेतु इण्डोर स्टेडियम अविलम्ब निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय पत्रांक–542, दिनांक–13.03.2023 द्वारा साहेबगंज जिलान्तर्गत राजमहल में इण्डोर स्टेडियम निर्माण हेतु भूमि विवरणी एवं समंतव्य प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु उपायुक्त, साहेबगंज से अनुरोध किया गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने एवं बजटीय उपलब्धता के आधार पर नियमानुकूल कार्रवाई किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–28/2023 604 / राँची, दिनांक 18-03-2023

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0–489/वि०स०, दिनांक–25.02.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/03/2023

सरकार के उप सचिव

607

श्री बिरंची नारायण, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–21.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ0–06

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि भूतपूर्व इंडियन नेवी स्टाफ श्री गोपाल प्रसाद बरनवाल ने अपने आर्किटेक्ट इंजीनियर श्री अमित परासर के द्वारा File No. JIADA/BP/0037/2022 के जरिये सितम्बर 2020 में बियाडा, बोकारो स्थित अपने रेसिडेंशियल प्लॉट पर गृह निर्माण हेतु झारखण्ड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट ऑथोरिटी के पास नक्शा पास करने हेतु आवेदन किया गया था और दिनांक–22.09.2022 को इसके लिए रूपये 43575/–जियाडा में जमा किए हैं;	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि गृह निर्माण का नक्शा पास करने के लिए फायर एडवाइजरी की जरूरत नहीं होती है क्योंकि गृह निर्माण कार्य उद्यम के अन्तर्गत नहीं आता है और बियाडा, बोकारो के जमीन पर स्थानीय अंचल कार्यालय न तो म्यूटेशन करता है और न ही लैंड पोजेशन सर्टिफिकेट ही निर्गत करता है;	आंशिक स्वीकारात्मक
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भूतपूर्व इंडियन नेवी स्टाफ श्री गोपाल प्रसाद बरनवाल का बियाडा, बोकारो स्थित उक्त जमीन पर गृह निर्माण हेतु नक्शा स्वीकृत करवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–12/23 351 /राँची, दिनांक:– 20/03/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–484 दिनांक–25.02.2023 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/03/23

सरकार के अवर सचिव

608

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 21.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–उत–16 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गुरूनानक कॉलेज, धनबाद के छः शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति के अनुमोदन हेतु संदर्भ सं0–4112/15, दिनांक–30.11.2015 कुलसचिव, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग द्वारा निदेशक (उच्च शिक्षा), झारखण्ड सरकार को भेजी गयी है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि अल्पसंख्यक महाविद्यालय गुरूनानक कॉलेज, धनबाद में वित्त रहित पदों पर नियुक्ति से संबंधित संचिका संख्या–147/2016 का वित्त विभाग के पास वर्षों से लंबित रहने का कारण महाविद्यालय शासी निकाय द्वारा नियुक्त छः कर्मचारियों 1. संजय कुमार सिंह, 2. मोती लाल महतो, 3. इम्तियाज अहमद, 4. मदन लाल गोस्वामी, 5. जसपाल सिंह ब्रोका तथा 6. गुरमीत कौर की स्थाई नियुक्ति नहीं हो सकी है तथा मासिक वेतन निर्धारण के आभाव में इनकी अर्थिक स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो गयी है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुतः गुरूनानक महाविद्यालय अल्पसंख्यक महाविद्यालय है। अल्पसंख्यक महाविद्यालय में वित्त रहित पदों पर कार्यरत कर्मियों को वित्त सहित पदों पर समायोजन नियुक्ति/सेवा शर्त आदि निर्धारण की कार्रवाई हेतु प्रस्ताव एवं संलेख प्रारूप पर विधि विभाग द्वारा दिए गए परामर्श पर मंतव्य प्राप्त करने हेतु संचिका कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को भेजी गयी है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड 2 में उल्लेखित शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को स्थाई तौर पर नियुक्ति करने का विचार रखती है, हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उत्तर कंडिका–2 में सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक–01/वि0स0–28/2023 743 / रॉची, दिनांक 19/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–843 दिनांक–02.03.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/23
(सुरेश चौधरी)
सरकार के उप सचिव।

609

डॉ० इरफान अंसारी, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक–21.03.2023 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–08 का उत्तरः–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
डॉ० इरफान अंसारी, सदस्य विधान सभा	*श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला अंतर्गत मिहिजाम् नगर पंचायत के राज्य संपोषित उच्च विद्यालय मिहिजाम में खेलकूद हेतु स्टेडियम नहीं है, जिससे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को खेलकूद की गतिविधि करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है;	स्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मिहिजाम में राज्य संपोषित उच्च विद्यालय में युवाओं के खेलकूद हेतु स्टेडियम बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय पत्रांक–236, दिनांक–02.02.2023 द्वारा जामताड़ा जिलान्तर्गत मिहिजाम नगर पंचायत के राज्य सम्पोषित उच्च विद्यालय में स्टेडियम निर्माण हेतु भूमि विवरणी व तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन एवं समंतव्य प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु उपायुक्त, जामताड़ा से अनुरोध किया गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने एवं बजटीय उपलब्धता के आधार पर नियमानुकूल कार्रवाई किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–16/2023 601 / राँची, दिनांक 18-03-2023

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–236/वि०स०, दिनांक–23.02.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/03/2023

सरकार के उप सचिव

(610)

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

462
20.3.23

श्री ढुलू महतो, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 21.03.2023 को पूछा जाने वाला
तारांकित प्रश्न संख्या शि–40

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	श्री आलमगीर आलम, माननीय संसदीय प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि झारखंड प्राथमिक शिक्षकों द्वारा वेतन विसंगति अंतर जिला स्थानांतरण एम.ए.सी.पी. की स्वीकृति गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति आदि की लगातार मांग करते रहे है;	वस्तुस्थिति यह है कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660 वि. दिनांक 28.02.2009 की कंडिका–8(1) (B) के Note–1 में निहित प्रावधान के अनुरूप वेतन निर्धारण अनुमान्य है। इन्हें ग्रेड वेतनमान के तहत प्रोन्नति दी जाती है। प्राथमिक शिक्षकों को ए.सी.पी./एम.ए. सी.पी. की सुविधा देय नहीं है। प्रारंभिक शिक्षकों के प्रोन्नति पर निर्णय लेने हेतु जिला शिक्षा स्थापना समिति सक्षम प्राधिकार है। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में प्रोन्नति से संबंधित दायर वादों का निष्पादन जिला शिक्षा स्थापना समिति की माध्यम से करने का आदेश विभागीय पत्रांक 936 (विधि) दिनांक 14.11.2022 द्वारा सभी उपायुक्त एवं सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को दिया जा चुका है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संकल्प संख्या 2093 दिनांक 06.08.2019 के प्रावधानों के तहत शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण ऑनलाईन प्रक्रिया के तहत किया जाना है। इस हेतु टीचर ट्रांसफर पोर्टल के माध्यम से कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। विभागीय पत्रांक 2760 दिनांक 07.12.2022 एवं मुख्य सचिव का पत्रांक 893 दिनांक 15.04.2015 द्वारा सभी जिलों के उपायुक्त को गैर–शैक्षणिक कार्य से मुक्त करने का निदेश दिया जा चुका है।
2	क्या यह बात सह है कि दिनांक 01.01. 2006 के छठे वेतनमान में विसंगतियों को दूर करने हेतु वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2623 दिनांक 01.10.2019 के आलोक में निम्नवत् प्रारंभिक वेतन 16290 किया जाना है जो अभी तक नहीं किया गया है;	वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660 वि. दिनांक 28.02.2009 की कंडिका–8(1) (B) के Note–1 में निहित प्रावधान के अनुरूप प्राथमिक शिक्षकों को अनुमान्य वेतन दिया जा रहा है। वित्त विभागीय संकल्प संख्या 2623/वि. दिनांक 01.10.2019 द्वारा छठे पुनरीक्षित वेतनमान के परिपेक्ष्य में दिनांक 01.01.2006

Khurshid

		के पूर्व से पदस्थापित झारखंड सचिवालय सेवा के सहायक/निजी सहायक के मूल कोटि कर्मियों के वेतन निर्धारण हेतु न्यूनतम वेतन 18460 रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह वेतनमान जिले में पदस्थापित प्राथमिक शिक्षकों के मामलों में लागू नहीं है।
3	क्या यह बात सही है कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को गैर–शैक्षणिक लिपकीय कार्यों की अतिरिक्त बोझ दिया जाता है, जिससे पठन–पाठन प्रभावित होता है;	राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में लिपिक का पद सृजित नहीं रहने के कारण विभागीय अधिसूचना संख्या 2144 दिनांक 02.11.2021 द्वारा शैक्षणिक अवधि (पूर्वाह्न 09 बजे से अपराह्न 03 बजे तक) के उपरांत एक घंटे तक अर्थात संध्या 04 बजे तक शिक्षकों द्वारा विद्यालय के लिपिकीय कार्य को निष्पादित करने का आदेश संसूचित है। शैक्षणिक अवधि के उपरांत शिक्षकों द्वारा दैनिक लिपिकीय कार्य संपादित किये जाने से शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होता है।
4	यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्राथमिक शिक्षकों के वेतन विसंगति स्थानांतरण एम.ए.सी.पी. की स्वीकृति एवं गैर–शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति जैसे मांगों का निराकरण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस खण्ड का उत्तर कंडिका–1 में सन्निहित है।

20/3/23
सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक : 16/वि.2– 116/2023.....462...../राँची, दिनांक.....20.3.....2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–780 दिनांक 01.03.2023 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/3/23
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(611)

डॉ० नीरा यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 21.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० ट-05 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिला के प्रखण्ड सतगांवा अन्तर्गत मीरगंज पंचायत में दूधपनिया जंगल अवस्थित है, जहाँ की कंदराओं में ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल होने के प्रमाण मिले है,	1.	**स्वीकारात्मक** उपायुक्त, कोडरमा के प्रतिवेदनानुसार स्थानीय जाँच के क्रम में मीरगंज पंचायत में दूधपनिया जंगल की कंदराओं में ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल होने के प्रमाण मिले है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड-(1) में वर्णित ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थल स्थित घोड़सिम्मर धाम के आसपास के क्षेत्रों में विगत 7 वर्ष पूर्व खुदाई स्थानीय प्रशासन द्वारा की गई थी, जिसमें विभिन्न प्राचीन लिपियाँ का भी पता चला है,	2.	**स्वीकारात्मक**
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड-(1) में वर्णित क्षेत्र को पर्यटकीय स्थल के रूप में अधिसूचित कर लिया गया है,	3.	**अस्वीकारात्मक**
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित स्थल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeology Survey of India) से कराने तथा इसे राज्य की पर्यटन सूची में अधिसूचित कर पूरे प्रक्षेत्र को पर्यटकीय दृष्टिकोण से विकसित व सौन्दर्यीकृत कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	4.	दूधपनिया जंगल अवस्थित कंदराओं में ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं है परन्तु घोड़सिम्मर मंदिर श्रेणी 'C' का पर्यटक स्थल अधिसूचित है। उपायुक्त, कोडरमा के प्रतिवेदनानुसार स्थानीय स्तर से प्रतिवेदन प्राप्त कर दूधपनिया जंगल अवस्थित कंदराओं में ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित करने से संबंधित प्रस्ताव जिला पर्यटन संवर्धन परिषद् की बैठक में विचारार्थ रखा जायेगा। सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, राँची के पत्रांक 470, दिनांक 08.12.2022 के द्वारा झारखण्ड राज्य के सभी उपायुक्तों से जिले में अवस्थित पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्मारक, स्थल एवं धरोहर को झारखण्ड प्राचीन स्मारक और पुरातत्व -स्थल अवशेष तथा कलानिधि विधेयक-2016 के तहत सुरक्षित घोषित करने से संबंधित पूर्ण राजस्व विवरणी के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार भारतीय पुरातत्व अंचल, राँची से उक्त स्थल पर सर्वेक्षण कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक-पर्यटन/वि०स०/08/2023....571......../राँची, दिनांक 16.03.2023.........

प्रतिलिपिः- उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या-78/वि०स०, दिनांक-21/02/2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/03/23

सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

612

श्री राजेश कच्छप, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–21.03.2023 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–वन–16 का उत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में हाथी मानव संघर्ष विकराल रूप ले चुकी है, जिसके फलस्वरूप अकेले झारखण्ड राज्य में पिछले पाँच वर्ष में 462 जानें जा चुकी हैं,	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य में वर्ष 2018–19 से फरवरी 2022–23 तक जंगली जानवरों एवं मानव संघर्ष के फलस्वरूप कुल 458 मामलों में मानव मृत्यु प्रतिवेदित है। इन 458 मृत्यों के प्रकरणों में हाथियों के अलावा अन्य जानवरों के द्वारा मानव मृत्यु के मामले भी सम्मिलित है।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य में वन क्षेत्र बढे है, परन्तु रास्ता रोकने (Due to Mining, Forestation) से बेकाबू हो रहे हाथी मानव बस्ती में धावा बोल रहे है जो बेहद चिन्तित करने वाली है,	आंशिक स्वीकारात्मक। भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर राज्य में पिछले 2 सालों (2019 एवं 2021 के बीच) कुल–109.73 वर्ग कि0मी0 में वनाच्छादन (tree cover) की वृद्धि हुई है। खनन कार्य सहित अन्य विकास कार्य जैसे कि सड़क निर्माण, सिंचाई नहर, ऊर्जा संचरण के लाईन, रेलवे ट्रैक बिछाने आदि के कारण वन पर्यावास को क्षति पहुंचती है। हाथी बड़े जंगली जानवर है एवं एक जंगल से दूसरे जंगल के बीच भोजन एवं पानी की खोज में आवागमन करते हैं। वनों को क्षति पहुंचने से हाथियों के आवागमन के मार्ग अवरूद्व होते हैं, जिसके कारण मानव–हाथी संघर्ष में बढ़ोतरी होने की सम्भावना बनी रहती है।
3	क्या यह बात सही है कि बंगाल सरकार ने हेसला जंगल झालदा में करीब 15 कि0मी0 दायरे में बिजली तार की fencing कर दी है, जिससे हाथी भटककर झारखण्ड में ही घुमते रहते हैं तथा जानमाल की हानि पहुंचाते है,	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य में जंगली हाथियों के मुख्यतः 2 दल हैं (क) पलामू तथा (ख) सिंहभूम। इसके अतिरिक्त कुछ हाथी ऐसे हैं जो झारखण्ड एवं पश्चिम बंगाल की सीमा का उपयोग आवागमन हेतु करते हैं। उल्लेखनीय है कि पलामू एवं सिंहभूम में पाए जाने वाले हाथियों के दल स्थायी निवासी हैं तथा केवल ऐसे हाथी जो झारखण्ड एवं पश्चिम बंगाल की सीमा पार कर विचरण किया करते हैं, वैसे हाथियों का ही बंगाल की सीमा पर फेंसिंग कार्य करने से आवागमन बाधित होने की संभावना हैं। केवल 15 कि0मी0 की दूरी में फेंसिंग कार्य ही एक मात्र कारण नहीं है जिसके परिणामस्वरूप हाथियों द्वारा राज्य में जानमाल की क्षति की जा रही है।
4	क्या यह बात सही है कि कॉरिडोर में बालु खनन से नदियों के किनारे बड़े–बड़े गढ्ढे हो गये है, इससे गिरकर हाथी घायल हो जाते है और नदी में जाने से डरकर भटकते रहते हैं,	हाथियों के विचरण क्षेत्र में बालू उत्खनन के कारण हुए गढ्ढों में गिरकर हाथियों के घायल होने का कोई प्रकरण प्रतिवेदित नहीं है।

5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्णित खण्डों की विषय पर प्रतिकारात्मक कदम उठाने के साथ साथ मानव–हाथी टकराव रोकने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	वन विभाग द्वारा मानव–हाथी द्वंद की समस्या को अत्यंत गंभीरता से लिया जाता है। मानव–हाथी टकराव की घटनाओं को रोकने के लिए विभाग द्वारा कई पहल किए गए हैं। (क) राज्य में कुल–11 QRT का गठन किया गया है, जो मानव–हाथी टकराव की घटनाओं को रोकने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। (ख) हाथियों के प्राकृतिक पर्यावास में ही भोजन एवं पानी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए जंगलों में बांस–बखारों की सफाई की जाती है तथा नए तालाब–चेकडैम का निर्माण कराया जाता है। साथ ही पुराने चेक डैम की सफाई एवं गहरीकरण का कार्य कराया जाता है। (ग) जंगली हाथियों के दैनिक गतिविधियों की सूचना संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारियों द्वारा मुख्यालय को भेजी जाती है ताकि सभी वन प्रमण्डल मानव–हाथी द्वंद से निपटने हेतु पहले से ही तैयार रहे। (घ) विभाग द्वारा हाथियों द्वारा फसल क्षति रोकने हेतु वृहत पैमाने पर टार्च, पटाखें एवं सोलर लाईट का वितरण किया जाता है। (ड़) कई वन प्रमण्डलों यथा सारण्डा एवं चाईबासा द्वारा स्वतः चालित अलार्म सिस्टम (ANIDERS) का उपयोग किया जा रहा है। (च) मानव–हाथी द्वंद की घटनाओं से निपटने के लिए विभाग द्वारा विशेषज्ञ संस्थाओं की सहायता भी ली जाती है। (छ) हाथियों के दल की गतिविधियों के सतत ट्रैकिंग के लिए Radio Collaring करने हेतु एक Pilot Project पर विचार किया जा रहा है। (ज) सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में जंगली हाथियों के दल के Real time tracking हेतु एक Software तैयार किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक– 5/वि0स0 तारांकित प्रश्न–33/2023–1069 व0प0, दिनांक–20/03/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–623, दिनांक–27.02.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/03/23

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

613

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–21.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–33 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–		मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि मैक्लुस्कीगंज विश्व विख्यात एंग्लोइंडियन ग्राम है,	1.	आंशिक स्वीकारात्मक मैक्लुस्कीगंज झारखण्ड में एंग्लोइंडियन ग्राम के रूप में जाना जाता है।
2.	क्या यह बात सही है कि मैक्लुस्कीगंज में पर्यटकीय विकास की असीम संभावनाऐं है,	2.	आंशिक स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है कि मैक्लुस्कीगंज में टुरिज्म के माध्यम से पर्यटकीय विकास द्वारा इस ग्राम को विकसित किया जाना है, जिससे स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ा जा सकेगा,	3.	आंशिक स्वीकारात्मक पर्यटन विकास का एक आयाम है। ग्रामों के विकास हेतु पर्यटन के विकास के साथ–साथ विकास के अन्य आयामों की भी आवश्यकता होती है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस ग्राम को पर्यटकीय विकास का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	4.	विभाग द्वारा मैक्लुस्कीगंज श्रेणी B (राष्ट्रीय महत्व) का पर्यटक स्थल अधिसूचित है। मैक्लुस्कीगंज में एक पर्यटक सूचना केन्द्र भवन संचालित है जिसमें रेस्तराँ (भोजन की व्यवस्था) एवं आवासन की सुविधा भी उपलब्ध है। इस ग्राम को ग्रामीण पर्यटन के रूप में विकसित करने की संभावना का आकलन कराया जायेगा। आकलन में सकारात्मक प्रतिवेदन आने की स्थिति में इस दिशा में अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०–40/2023...598.../राँची, दिनांक...18-03-2023...

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–884/वि०स०, दिनांक–02/03/2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/03/2023

सरकार के उप सचिव

614

873
19/03/2023

श्री राम दास सोरेन, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–53 क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों के चयन/नियुक्ति के संबंध में उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम के निर्देश पर जिला जनसम्पर्क कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) के प्रेस विज्ञप्ति–1244/2022, दिनांक 01 सितम्बर, 2022 के माध्यम से रोक लगाई गई थी;	अस्वीकारात्मक। जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक 491 दिनांक 11.03.2023 द्वारा एतद् संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित निर्देश के बावजूद उक्त जिले के घाटशिला स्थित जगदीश चन्द्र उच्च विद्यालय विद्यालय प्रबंधन द्वारा उक्त निर्देश का उल्लंघन कर बंगला विषय के शिक्षकों की नियुक्ति की गई है;	वस्तुस्थिति यह है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम के पत्रांक–470 दिनांक–06.03.2023 के द्वारा जगदीश चन्द्र उच्च विद्यालय की प्रबंध समिति द्वारा दिनांक–18.08.2022 को शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति हेतु समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन (विज्ञापन सं.–JCHS/201/22–23 दिनांक–12.08.2022) द्वारा प्रारंभ शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति/चयन प्रकिया को निरस्त किया गया है एवं विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा नियमानुसार नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित निर्देश का उल्लंघन करनेवाले संबंधित विद्यालय प्रबंधन पर विधि सम्मत आवश्यक कार्रवाई करते हुए उक्त नियुक्ति को रद्द करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर उपर्युक्त खण्डों में सन्निहित है।

19/03/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–102/2023...873..... राँची, दिनांक 19/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/03/23
सरकार के अवर सचिव।

(615)

874
19/03/2023

श्री दशरथ गागराई, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–का0–07

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि माननीय उच्चतम् न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या–4044/2022 से उद्भूत अवमाननावाद(सि.) संख्या–612/2022 में दिनांक 15.12.2022 को पारित न्यायादेश की कंडिका–2 का अनुपालन करते हुए अनुसूचित जिलों में संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 से संबंधित संस्कृत, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, भूगोल, गणित/भौतिकी, जीवविज्ञान/ रसायन शास्त्र विषयों का राज्य मेधा सूची झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेजा गया है, जिसमें जिला मेधा सूची को ही राज्य मेधा सूची माना गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। विभागीय पत्रांक 419 दिनांक 16.02.2023 द्वारा अवमाननावाद सं. 612/2022 के आलोक में संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा, 2016 के आधार पर अनुसूचित जिले के लिए पूर्व में अनुशंसित अभ्यर्थियों (पूर्वी सिंहभूम, संस्कृत–24, सरायकेला– खरसांवा, संस्कृत–7, पश्चिमी सिंहभूम, अंग्रेजी–2, अर्थशास्त्र–1, भूगोल–1, गणित/ भौतिकी–3, जीव विज्ञान/रसायन शास्त्र–2, संस्कृत–11, गुमला, संस्कृत –47, लोहरदगा, संस्कृत–14, हिंदी–1, जीव विज्ञान/ रसायन शास्त्र–1 एवं रांची, संस्कृत–43) से जिला विकल्प एवं प्रमाण पत्र की मांग हेतु प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया था, जिसके आधार पर अर्हत्ता एवं योग्यताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति से संबंधित निर्णय की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
2.	क्या यह बात सही है कि ऊपर वर्णित न्यायादेश के अनुसार ही अनुसूचित जिलों में इतिहास/नागरिक शास्त्र विषय के बचे हुए सीटों के लिए भी राज्य मेधा सूची प्रकाशित किया जाता है;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर *Civil Appeal No. 4044/2022* से उद्भूत *Cont.Case No. 612/2022* में दिनांक 15.12.2022 को पारित अंतिम न्यायादेश के अनुपालन में इतिहास/नागरिक शास्त्र विषय में नियुक्ति हेतु पूर्व में/अद्यतन अनुशंसा विभाग को अप्राप्त है। झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के स्तर पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अनुसूचित जिलों में इतिहास/नागरिक विषय के बचे हुए सीटों को ऊपर वर्णित न्यायादेश का अनुपालन करते हुए भरने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस कंडिका का उत्तर उपर्युक्त कंडिकाओं में सन्निहित है।

ह०/- 19/03/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–85/2023 874 राँची, दिनांक 19/03/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 19/03/23
सरकार के अवर सचिव।

616

श्रीमती दीपिका पाण्डेय, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 21.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–14 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला अन्तर्गत महागामा, मेहरमा तथा ठाकुरगंगटी प्रखण्ड में एक भी पुस्तकालय एवं कला भवन गुणवत्तापूर्ण नहीं है,	1.	**आंशिक स्वीकारात्मक** उपायुक्त, गोड्डा के प्रतिवेदनानुसार गोड्डा जिलान्तर्गत महागामा, मेहरमा तथा ठाकुरगंगटी प्रखण्डों में कुल 396 सरकारी विद्यालय है जिनमें से 365 विद्यालयों में विद्यालय स्तर पर पुस्तकालय संचालित है परन्तु महागामा, मेहरमा तथा ठाकुरगंगटी प्रखण्डों में कला भवन नहीं है,
2.	क्या यह बात सही है कि पुस्तकालय एवं कला भवन गुणवत्तापूर्ण नहीं होने के कारण छात्रों एवं आमजन को कठिनाई होती है,	2.	**अस्वीकारात्मक**
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित प्रखण्डों में गुणवत्ता पूर्ण पुस्तकालय एवं कला भवन का निर्माण करने का विचार रखती है, हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3.	गोड्डा अंचल अन्तर्गत जिला मुख्यालय में सांस्कृतिक/कला भवन निर्माण हेतु तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन नये SOR पर उपलब्ध कराने का अनुरोध विभागीय पत्र–06, दिनांक 02.01.2023 के द्वारा किया गया है। उपायुक्त, गोड्डा से तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन नये SOR पर प्राप्त होने के उपरान्त बजट उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/18/2023 599 /राँची, दिनांक 18-03-2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–238/वि०स०, दिनांक–23/02/2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/03/2023

सरकार के उप सचिव

जितेन्द्र

(617)

876
19/03/2023

श्री दिनेश विलियम मराण्डी , मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–50

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि लिट्टीपाड़ा विधान सभा क्षेत्र के गोपीकान्दर प्रखण्ड चारों तरफ जंगलों से आच्छादित है तथा यह नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि पश्चात्वर्त्ती भाग का उत्तर विभाग से संबंधित नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि गोपीकान्दर में अवस्थित प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय में चाहरदिवारी एवं शौचालय की व्यवस्था नहीं है;	आंशिक स्वीकारात्मक। प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, गोपीकान्दर का यू डायस कोड–20110805004 हैं यू–डायस के आंकड़ा के आधार पर विद्यालय में बालक एवं बालिका दोनों के लिए शौचालय उपलब्ध है। विद्यालय में पेयजल एवं विद्युत की सुविधा उपलब्ध है। विद्यालय में चहादीवारी उपलब्ध नहीं है।
3.	क्या यह बात सही है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण विद्यालय की चाहरदिवारी और शौचालय का नहीं होना छात्राओं के लिए घातक हो सकता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। विद्यालय के पास बालक एवं बालिकाओं हेतु 01–01 इकाई शौचालय उपलब्ध है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–2 में वर्णित विद्यालय की छात्राओं के सुरक्षा हेतु विद्यालय की चाहरदिवारी और शौचालय का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, गोपीकांदर, सदृश विद्यालयों में चाहरदीवारी निर्माण हेतु भारत सरकार का दिशानिदेश प्राप्त है, जो निम्नवत् है:– "सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार के पत्रांक– D.O. No- 21-8/2022-IS9 दिनांक 30.12.2022 तथा भारत सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों के सचिवों के संयुक्त पत्रांक F.No.-21-8/2022-IS-9-Part (I) दिनांक 19.12.2022 द्वारा विद्यालयों के बुनियादी आधारभूत संरचना को पूरा करने हेतु जिले में 15वीं वित्त आयोग, मनरेगा तथा DMFT में उपलब्ध निधि का उपयोग करते हुए पूरा करने का निदेश" दिया गया है। भारत सरकार के उपर्युक्त पत्र के आलोक में जिले के विद्यालयों में यू–डायस 2021–22 आधार पर पायी गई बुनियादी आधारभूत संरचनाओं की कमियों को पूरा करने हेतु सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा DMFT में उपलब्ध निधि से जिले के सरकारी विद्यालयों में बुनियादी आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के संबंध में पत्रांक JEPC/CIV/03/767/2022/116 दिनांक 11.01.2023 द्वारा दुमका जिला सहित सभी जिलों के उपायुक्त को पत्र निर्गत किया गया है।

विश्राम - .
सरकार के अवर सचिव। 19/03/23

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–93/2023...876...... राँची, दिनांक 19/03/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्राम
सरकार के अवर सचिव। 19/03/23

618

श्री समीर कुमार मोहन्ती, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–21.03.2023 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–वन–06 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि बहरागोड़ा विधान सभा क्षेत्र साल (सखुआ) वृक्ष के वनों का अकुत भण्डार है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि वर्तमान में उचित संरक्षण व संवर्धन के अभाव में खण्ड–01 में वर्णित वनों की स्थिति निरंतर विगड़ रही है;	अस्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार साल वनों के विकास के लिए पंचवर्षीय "सिल्वी कल्चरल ऑपरेशन" योजना के तहत् प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वन विभाग द्वारा चार वर्षीय "सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन" कार्य प्रत्येक वर्ष चयनित वनों में कराये जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत भविष्य में भी चयनित वनों में यह कार्य कराये जाने का प्रावधान है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0सं0 तारांकित प्रश्न–16/2023–1067 व0प0, दिनांक–20/03/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–82, दिनांक–21.02.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/03/23

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

619

883
19/03/2023

दीपिका पाण्डेय सिंह, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–31

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार द्वारा स्थापना अनुमति प्राप्त 249 विद्यालयों को अनुदान देती है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004 में उल्लेखित पात्रता प्राप्त तथा झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान), नियमावली, 2004 में निर्धारित नियमों का अनुपालन करने वाली शैक्षणिक संस्थानों को अनुदान अनुमान्य है, तदनुसार देय है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में मात्र 42 विद्यालयों को ही अनुदान की राशि निर्गत किया गया है, अन्य विद्यालयों को अनुदान राशि अबतक लंबित है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि – (*i*) विभागीय अनुदान समिति की बैठक दिनांक 19.03.2021 में लिए गए निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु प्राप्त एवं विचारित कुल 339 आवेदनों (**157+79+42+29+32**) के विरुद्ध 267 आवेदन (**145+64+0+28+30**) स्वीकृत किए गए, 22 आवेदन (**10+10+0+0+02**) अस्वीकृत किए गए तथा 50 आवेदन (**02+05+42+01+0**) अतिरिक्त सूचना प्राप्त किए जाने हेतु लंबित रखे गए, क्रमशः इंटरमीडिएट महाविद्यालय– **157–145–10–02**, प्रस्वीकृति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय– **79–64–10–05**, राज्य सरकार से स्थापना अनुमति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय– **42–0–0–42**, संस्कृत विद्यालय – **29–28–0–01** एवं मदरसा– **32–30–02–0** हैं। (*ii*) स्पष्टतः राज्य सरकार से स्थापना अनुमति प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से प्राप्त सभी 42 आवेदन सहित कुल 50 आवेदन अतिरिक्त सूचना प्राप्त किए जाने हेतु लंबित रखे गए थे, जिनके संबंध में विभागीय अनुदान समिति की बैठक दिनांक 14.03.2022 एवं दिनांक 23.03.2022 में विचारोपरांत 42 आवेदनों में से 33 आवेदन तथा शेष 08 आवेदनों में से 06 आवेदन स्वीकृत किए गए।
3.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सभी मानकों को पूरा करने वाले शेष 207 विद्यालयों को वित्तीय वर्ष 2020–21 का अनुदान देना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्डों में निहित है।

19/03/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.01–60 / 2023...883..... राँची, दिनांक...19/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/03/23
सरकार के अवर सचिव।

(620)

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

460
20.3.23

श्री दशरथ गागराई, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 21.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या शि0–42

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री आलमगीर आलम, माननीय संसदीय प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम के सातवें पत्र में ओड़िया भाषा चुनने का विकल्प है;	अस्वीकारात्मक। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के पाठ्यक्रम के सातवें पत्र में ओड़िया भाषा चुनने का विकल्प नहीं है।
2	क्या यह बात सही है कि JAC द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या 02/2023 जो परीक्षा कार्यक्रम है, के सातवें पत्र में ओड़िया भाषा का विकल्प नहीं है;	अस्वीकारात्मक। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के पाठ्यक्रम के सातवें पत्र में ओड़िया भाषा चुनने का विकल्प नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सातवें पत्र में ओड़िया भाषा को सम्मिलित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सम्प्रति प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सातवें पत्र में ओड़िया भाषा को सम्मिलित करने का प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

20/3/23
सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक : 16/वि.2–108/2023...460.../राँची, दिनांक.....20.3...../2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–774 दिनांक 01.03.2023 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/3/23
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

621

श्री मनीष जायसवाल स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक–21.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या –टन–29 का उत्तर–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री मनीष जायसवाल, सदस्य विधान सभा	*श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रत्येक प्रखण्ड में सरकार द्वारा 01 स्टेडियम बनाने का प्रावधान है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र के कटकमदाग एवं दारू प्रखण्ड में सरकार द्वारा अब तक स्टेडियम निर्माण से संबंधित आदेश नहीं दी गई है जिससे उक्त क्षेत्र के खिलाड़ियों को खेल का आयोजन के लिए दूसरे प्रखण्ड के स्टेडियमों पर निर्भर रहना पड़ता है जिससे खिलाड़ियों को काफी कठिनाईयाँ होती है;	आंशिक स्वीकारात्मक। प्रखण्ड के सरकारी विद्यालयों में खेल मैदान उपलब्ध है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–02 में वर्णित प्रखण्डों में चालू वित्तीय वर्ष में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय पत्रांक–543, दिनांक–13.02.2023 द्वारा हजारीबाग जिलान्तर्गत कटकमदाग एवं दारू प्रखण्ड में स्टेडियम निर्माण हेतु भूमि विवरणी व तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन एवं समंतव्य प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु उपायुक्त, हजारीबाग से अनुरोध किया गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने एवं बजटीय उपलब्धता के आधार पर नियमानुकूल कार्रवाई किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–36/2023 606 / राँची, दिनांक 18.03.2023

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0–782/वि०स०, दिनांक–01.03.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/03/2023

सरकार के उप सचिव

(622)

886
19/03/2023

डॉ. लम्बोदर महतो, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–28		
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला अन्तर्गत कसमार प्रखण्ड के मध्य विद्यालय, मुरहुलसुदी को राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है, किन्तु वित्तीय वर्ष 2012–13 से उत्क्रमित उच्च विद्यालय मुरहुलसुदी में कक्षा नवम में नामांकन अभी तक नहीं हो रहा है;	स्वीकारात्मक। कसमार प्रखंड के मध्य विद्यालय, मुरहुलसूदी को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में उच्च विद्यालय में उत्क्रमित किया गया था। किन्तु प्रस्वीकृति प्राप्त कृष्ण मुरारी पाण्डे स्मारक हरिजन आदिवासी उच्च विद्यालय मुरहुलसूदी एवं मध्य विद्यालय, मुरहुलसूदी एक ही कैम्पस में संचालित होने के फलस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (*PAB*) द्वारा इस विद्यालय सहित पूर्व के वर्षो में उत्क्रमित किये गये 13 उच्च विद्यालयो का उत्क्रमण रद्द किये जाने की अनुशंसा के आलोक में, राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड माध्यमिक शिक्षा परियोजना परिषद्, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के पत्रांक 243 दिनांक 11.12.2013 द्वारा मध्य विद्यालय मुरहुलसूदी का उच्च विद्यालय में उत्क्रमण रद्द कर दिया गया था।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मध्य विद्यालय मुरहुलसुदी में जिला शिक्षा पदाधिकारी, बोकारो द्वारा वर्ष 2023–24 से उत्क्रमित उच्च विद्यालय, मुरहुलसुदी में कक्षा नवम में नामांकन चालू कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	अस्वीकारात्मक। सम्प्रति मध्य विद्यालय, मुरहुलसूदी, मध्य विद्यालय के रूप में संचालित है, इसलिए वर्ग नवम् में नामांकन की अनुमति दिया जाना नियमानुकूल नही होगा।

ह०/- 19/03/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–59/2023 886 राँची, दिनांक 19/03/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 19/03/23
सरकार के अवर सचिव।